



“हमारे अपने” पटेल, गांधी व नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी थी

सी.डब्ल्यु.सी. की बैठक में यह प्रस्ताव पारित करके, कांग्रेस ने यह मैसेज भी दिया, कि वह अभी भी इतिहास में जी रही है, और ऐतिहासिक विरासत के लिए संघर्ष कर रही है

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 8 अप्रैल। बहुत सालों के बाद कांग्रेस नींद से जागी है और उसे यह समझ में आया है कि भाजपा ने सरदार पटेल व महात्मा गांधी की विरासत को हथिया लिया है। इसी के मद्देनजर सी.डब्ल्यू.सी. ने “हमारे” सरदार पटेल पर प्रस्ताव पारित किया जिसमें पार्टी ने स्पष्ट किया कि गांधी और नेहरू के साथ सरदार पटेल ने स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी तथा भाजपा उनके बारे में झूठ फैला रही है।

भाजपा ने लगातार यह कहा है कि पटेल और नेहरू के बीच गंभीर मतभेद थे लेकिन अब कांग्रेस ने मजबूती से यह स्पष्ट करने का निर्णय लिया है कि तीनों नेता बहुत नजदीक थे, उन्होंने साथ मिलकर काम किया तथा महात्मा गांधी की हत्या के बाद, वो पटेल ही थे जिन्होंने आर.एस.एस. पर प्रतिबंध लगाया।

कांग्रेस अतीत के साथ ही रहना चाहती है। वह ऐसे समय पर भी गुजरात की धरती पर गांधी और पटेल का आन्हान कर रही है, जब उसे अपने पुनर्निर्माण पर फोकस करना चाहिए,

- जबकि, उसका फोकस होना चाहिए पार्टी के पुनर्निर्माण पर।
- कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी इसीलिए अपने सम्बोधन में जोर दिया कि जब तक पार्टी का संगठनात्मक ढांचा दुरुस्त नहीं होता, पार्टी चुनाव नहीं जीत सकेगी।
- उनके अनुसार सन् 2025, पार्टी के संगठन को पटरी पर लाने के लिए समर्पित होना चाहिये। पर, इस दिशा में कोई प्लान नहीं है, राहुल गांधी का, डी.सी. सी.ओ. को मजबूत बनाने के अलावा।
- कल राष्ट्रीय मुद्दों पर तथा 2027 में निश्चित गुजरात के विधानसभा चुनावों के बारे में प्रस्ताव लाया जायेगा।
- राहुल गाँधी ने कहा, विधानसभा चुनावों में पार्टी, भाजपा से गुजरात को छीन लेगी, तथा सरकार बनायेगी। पर, इस घोषणा की क्रियान्विति के लिये जमीन पर कोई तैयारी नहीं दिख रही हैं।

क्योंकि वह इस समय भीषण संकट में है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज अपने भाषण में उस समय इसका स्पष्ट उल्लेख किया, जब उन्होंने कहा कि जब तक संगठन मजबूत नहीं होता, संख्या का कोई महत्व नहीं है तथा पार्टी चुनाव नहीं

जीत पायेगी। वर्ष 2025 संगठन को व्यवस्थित करने का वर्ष है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है, सिवाय इसके कि राहुल गांधी जिला कांग्रेस कमेटियों को सशक्त बनाना तथा उन्हें और अधिक अधिकार

देना चाहते हैं।
के.सी. वेणुगोपाल कहते हैं कि कांग्रेस एक बड़ा संगठनात्मक फेरबदल करना चाहती है तथा इस पर काम शुरू हो गया है।

राहुल गांधी पार्टी में दलितों, आदिवासियों तथा अल्पसंख्यकों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लाना चाहते हैं। इससे उनका एजेंडा पूरा हो जायेगा तथा पार्टी मजबूत हो जायेगी।

कल एक प्रस्ताव राष्ट्रीय मामलों पर तथा एक प्रस्ताव गुजरात पर लाया जायेगा, जहाँ 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। राहुल गांधी यह घोषणा पहले ही कर चुके हैं कि इस बार कांग्रेस गुजरात में जीतीगी तथा भाजपा से इस राज्य को छीन लेगी।

अब तक ऐसे कोई संकेत दिखाई नहीं दिये हैं। दरअसल, राहुल जो कहते हैं, उसे क्रियान्वित नहीं करते तथा जहाँ जरूरी है, वहाँ सर्जरी अभी शुरू भी नहीं हुई है।

ऐसे और भी वादे किये जाने हैं, और भी निर्णय जल्दी ही लिये जाने हैं, लेकिन वे जमीन पर नहीं उतरते, क्योंकि पार्टी जो कहती है, उसे क्रियान्वित नहीं करती।

कांग्रेस अधिवेशन में चिदंबरम् की तबियत बिगड़ी

अहमदाबाद, 08 अप्रैल। कांग्रेस अधिवेशन में वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की तबीयत भारी गर्मी के कारण आज शाम बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिवेशन के पहले दिन कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्य समिति की यहाँ पटेल स्मारक पर दिन में हुई बैठक में चिदंबरम ने हिस्सा

- उनके पुत्र कार्ति ने बताया कि भारी गर्मी के कारण तबियत बिगड़ने पर उन्हें जायडस अस्पताल में भर्ती कराया गया, अब वे सामान्य हैं।

लिया तो चिलचिलाती धूप में बैठक कक्ष की तरफ जाते हुए वह असहज लग रहे थे। शाम को साबरमती आश्रम में प्रार्थना कार्यक्रम में शामिल होने गए तो उनकी तबीयत बिगड़ गई तो उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इस बीच कांग्रेस के लोकसभा सदस्य तथा चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा "मेरे पिता पी चिदंबरम को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जिंदा बम कांड के चार अभियुक्तों को उम्रकैद

जयपुर, 8 अप्रैल। जयपुर बम कांड मामलों की विशेष अदालत 13 मई, 2008 को शहर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद चांदपोल हनुमान मंदिर के पास जिंदा मिले बम के मामले में चार अभियुक्तों शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान और सरवर आजमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर 6.40 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने गत 4 अप्रैल को दोनों पक्षों को बहस सुनकर अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया था।

सुनवाई के दौरान आरोपी शाहबाज हुसैन के वकील मुजाहिद अहमद ने

- अदालत ने अभियुक्तों पर 6.40 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

शायराना अंदाज में कहा कि, “तुम्हारा शहर, तुम ही कातिल तुम ही मुद्दई, तुम ही मुंसिफ, हमें यकीन है, गलती हमारी ही निकलेगी।” इस पर पीठासीन अधिकारी रमेश कुमार जोशी ने जवाब देते हुए कहा कि “कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना, अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी किया होगा। सबसे बड़ा कोर्ट हमारा मन होता है, क्या सही है और क्या गलत, उसे सब पता होता है, राह गलत नहीं होती, गलत तो चुनाव होता है।”

अदालत की ओर से गत सुनवाई को चारों ओरोपियों को दोष सिद्ध करने के बाद मंगलवार को चारों अभियुक्तों को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘देश के संविधान में “पूर्ण वीटो” या “पॉकेट वीटो” का कोई प्रावधान नहीं है’

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडू के राज्यपाल के खिलाफ निर्णय दिया और कहा राज्यपाल को कोई अधिकार नहीं है, असैम्बली द्वारा पारित विधेयक पर अनिश्चित काल तक कोई कार्यवाही नहीं करने का

-लक्ष्मण वेंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 अप्रैल। ऐसा लगता है कि सितारे भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की राजनीति की शिखर पर पहुँचाने में लगे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बिलों पर हस्ताक्षर नहीं करने के लिए दोषी ठहराया है और इससे विधानसभा चुनावों से पूर्व स्टालिन की छवि और ज्यादा चमक गई है।

ऐसा लगता है स्टालिन का नेतृत्व अब तमिलनाडु की सीमा के बाहर भी पहुँच रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्टालिन ने कहा कि यह न केवल तमिलनाडु की जीत है बल्कि उन सभी राज्य सरकारों की जीत है, जो राज्यपाल के हथौड़े पीड़ित हैं।

स्टालिन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला राज्य की स्वायत्ता के लिए बड़ी

- सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, राज्यपाल को अधिकतम तीन माह में विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर निर्णय ले ही लेना चाहिए।

- राज्यपाल की ओर से पैरवी करते हुए एटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने दलील दी कि, विधानसभा द्वारा पारित विधेयक उन कानूनों के खिलाफ थे, जो लोकसभा द्वारा पारित हैं, अतः राज्यपाल उन विधेयकों के राष्ट्रपति के पास नहीं भेज रहे थे।

- पर एटॉर्नी जनरल की यह दलील सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं की, और तीन माह का अधिकतम समय दिया, विधेयकों पर निर्णय लेने का।

जीत है और वे संघवाद के लिए संघर्ष करते रहेंगे।

न्यायिक जीत से मुख्यमंत्री छवि और बेहतर हुई है और चुनाव पूर्व यह फैसला आना उनके लिए अच्छी खबर

है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने यह उजागर कर दिया है कि राज्यपाल गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं और जो शक्तियाँ उन्हें प्राप्त नहीं हैं उन्होंने भी हथियाना चाहते हैं। तमिलनाडु की

जनता सब देख रही है।

मंगलवार को जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि राज्यपाल ने गैरकानूनी तरीके से आचरण किया और राज्य विधानसभा ने सहमति के लिए उन्हें जो विधेयक भेजे थे, उन्हें रोक कर राज्य सरकार के कामकाज में बाधा डाली है। संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल का आचरण अवैध है।

जस्टिस पारदीवाला जिन्होंने यह फैसला लिखा है, ने कहा जब राज्यपाल को कोई बिल भेजा जाता है तो धारा 200 के तहत उसके पास तीन विकल्प होते हैं। मंजूरी दें या मंजूरी रोके और आपत्ति होने पर बिल राष्ट्रपति के पास भेज दें, आर्टिकल 200 में “शीफ्रातिशीत्र” शब्द डाला गया है और राज्यपाल को बिल रोकने की अनुमति (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पद्मेश मिश्रा की नियुक्ति पर हाई कोर्ट ने जवाब मांगा

जयपुर, 8 अप्रैल । अधिवक्ता पद्मेश मिश्रा की एडिशनल एडवोकेट जनरल (ए.ए.जी.) के पद पर नियुक्ति के खिलाफ दायर अपील पर मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह और न्यायाधीश मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने इस मामले में पद्मेश मिश्रा और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

- हाई कोर्ट में पद्मेश मिश्रा को एएजी नियुक्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई।

याचिकाकर्ता अधिवक्ता सुनील समर्दड़िया ने अपील में कहा है कि राज्य सरकार ने विधि नीति में बेतरतीब और मनमाने तरीके से बदलाव करते हुए पद्मेश मिश्रा को फायदा पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में जिस तरीके से विधि नीति में संशोधन किए गए हैं, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पार्टी के इन गुंडों ने इन हैरान-पेरेशन और उत्तेजित स्कूली शिक्षकों की पिटाई कर दी तथा उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया था।

उल्लेखनीय है कि राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बहुत नजदीक हैं, शिक्षा मंत्रालय में भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में जेल में पड़े हैं। उनके विभिन्न ठिकानों और उस फ्लैट, जहां उनकी कथित “गलफ्रेंड” रहती थी, पर पड़ोई रेड में करीब 60 करोड़ रु. नकद पाये गये थे।

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि कर दी गई है, के बाद बड़ी अशोभनीय स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि ये 26000 शिक्षक अचानक सड़कों पर आ गये हैं तथा शासन-प्रशासन के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उच्च पदस्थ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ब्रह्मकुमारी राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी का निधन

आबू रोड (सिरोही), 08 अप्रैल। महिला शक्ति संगठन ब्रह्मकुमारीज की प्रमुख राजयोगिनी दादी रतनमोहिनी का सोमवार देर रात निधन हो गया। वह 101 वर्ष की थीं।

दादी रतनमोहिनी ने गुजरात में अहमदाबाद के जाईडिस अस्पताल में

- दादी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्र.मंत्री नरेन्द्र मोदी, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे तथा मु.मंत्री भजनलाल व अन्य प्रमुख हस्तियों ने शोक व्यक्त किया।

कल देर रात एक बजकर 20 मिनट पर अंतिम सांस ली। उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, लोक सभा अध्यक्ष ओम बिडला, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

ढंड अन्यायी के लिए न्याय है। –अगस्तियन

नेता गैर कानूनी काम करने वालों के साथ भी खड़े दिखते हैं!

पहले चुनावी नारों में पूछा जाता था आपका नेता कैसा हो, तो जवाब में लोगों का समूह चिल्लाता था फलों नेता जैसा हो। अब ऐसे नारे नहीं सुनाई पड़ते क्योंकि राजनीति में अब वैसे नेता होते ही नहीं जिन पर अभिमान किया जा सके या उनका अनुशरण किया जा सके। अब तो बद-दिमाग बाहुबलियों और किसी को कुछ न समझने वालों का समय है। युवावस्था में धौंस-पट्टी करते हुए राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने का जतन किया जाता है। एक बार विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव जीत कर मिलने आये एक युवा से जब तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पूछा कि उसने छात्रसंघ का चुनाव क्यों लड़ा, तो उसका मासूम जवाब था कि वह राजनीति में आना चाहता है और आगे चलकर एमएलए बनना चाहता है। ऐसा ही एक बार यूनिसेफ ने पंचायतों में पहली बार जीतकर आयी महिला पंचों की एक कार्यशाला रखी जिसमें बहुत सी युवा बहइकियां थी – कुछ जीस पहने भी। वहां सबसे एक सवाल पूछा गया कि वे क्यों इस पद की आकांक्षी हुईं, तो सभी का सहज जवाब था कि वे अब सरकार में अपने परिवार और दूसरे अपने लोगों के काम करना संकेगी। ऐसा वे इसलिए बोल रही क्योंकि उनका राजनीति में परिक्रम होकर यह कहना सीखना कि हम अपने क्षेत्र तथा आमजन के कल्याण के लिए आये है बाकी था। लोक कल्याणकारी राज्य की बात भी शायद इसीलिए अब नहीं की जाती। वह ज़माना गया जब अर्थशास्त्री मानते थे कि लोक कल्याणकारी राज्य में तो बरत घाटे का ही होगा और प्रशासनिक खर्च कम करके विकास पर अधिक पैसा खर्च किया जाएगा। मगर अब सब कुछ उलट गया। अब सरकार हर सेवा का शुल्क लेकर अपना मुनाफा बढ़ाती है और अपने अमले पर खर्च बढ़ाती जाती है। अब राजनीति सेवा का व्रत नहीं एक पेशा बन गई है और राजनेता पेशेवरा राजनेता सफल होने के लिए पेशेवर व्यावसायिक एजेंसियों की सेवाएं भी लेने लगे हैं। व्यावसायिक एजेंसियां उनके लिए जन-संपर्क का काम करती हैं। और तो और पत्रकारिता की उच्च शिक्षा के संस्थानों में विभिन्न माध्यमों पर प्रचार के हुनर सिखाए जाने लगे हैं और जनसंचार के आधुनिक साधनों के विषय में डिग्रियां भी दी जाने लगी हैं ताकि छात्रों को बाद में इस क्षेत्र में रोजगार मिल सके। कॉर्पोरेट जगत ने पत्रकारिता और राजनीति को भी अपने पाश में बांध लिया है। राजनीति के ऐसे नये माहौल में निर्वाचित प्रतिनिधि अपने को लोकतान्त्रिक व्यवस्था में भी राजा-महाराजाओं या सीईओ जैसा व्यवहार करने लगे हैं तो क्या आश्चर्य है। वे समझते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था में निर्वाचित हो जाने पर अब वे ही कानून हैं। वे अपनी राजनीति को चमक देने के लिए कानून तोड़ने वालों के साथ खड़े नज़र आते हैं। अखबारों में और सोशल मीडिया पर विडिओ के साथ ऐसी खबरें आम पाई जाती हैं कि कोई विधायक साहब लोगों के समूह के सामने सरकारी कर्मचारियों को फटकारते हैं या फोन पर किसी अफसर को डांटते-फटकारते हैं। ऐसा माहौल बन गया जाता है कि जैसे सारा प्रशासन खराब है और जन प्रतिनिधि जिनकी तरफ़दारी में खड़े दिख रहे हैं वे सब दूध के धुले हैं और पीड़ित हैं। यह भी सब जानते हैं कि इन पीड़ितों में वे भी होते हैं जो कानून तोड़ते हुए कोई भवन खड़े कर रहे होते हैं और वे भी होते हैं जिन्होंने खाली पड़ी सरकारी जमीन या पडोसी के जमीन पर कब्जा किया हुआ होता है। उनकी तरफ़दारी करते हुए वे अपने को रोबिनहुड की तरह प्रस्तुत करते हैं। उनमें अनेक सांप्रदायिक दवानल भी उगलते हैं।

प्राचीन या मध्यकालीन राजतंत्र में राजाशही अधिकारों के आधार पर शासन चलता था। वह वंश, रिस्तेदारियों तथा लेन-देन आधारित होता था। दरबार के लोग तथा उनके मातहत कारिदे सामंतों की कृपा पर आश्रित रहते थे तथा सामंत राजा की कृपा पर राजा पर कृपा पाने के बाद वे स्वच्छंद होकर आवागम को अपने अंगुठे के नीचे रखते थे। उनका अपना कानून चलता था। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को एक विधान के तहत काम करना होता है। उनके पास कोई व्यक्तिगत या निरंकुश शक्ति नहीं होती। उनको मिले विशेषाधिकार सदनों के अंदर ही होते हैं बाहर नहीं। किन्तु आज के राजनेता को अपनी दरबारी संस्कृति भाती है जिसमें कायदे कानूनों की नहीं उनकी मर्जी चलती हो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आजादी अचानक मिल गई। आजादी के बाद गणतान्त्रिक व्यवस्था तो संविधान सभा ने बना कर दे दी, किन्तु नयी व्यवस्था के अनुरूप विवेकशील समाज और जागरूक नागरिक बनाने की पूरी तैयारी नहीं हो पाई। स्वतंत्रता संग्राम केवल अंग्रेजों को बाहर कर देने का नहीं था, समाज को बदलने का उद्यम भी था जिसमें हमारे सामान्य व्यवहार में लंबे समय से अंदर गहरे तक धंसी सामंती मानसिकता को जड़ मूल से उखाड़नाभी शामिल था। देशी रियासतों, शासकों, जागीरदारों तथा उनकी कुलीन व्यवस्था को समाप्त करके उनके स्थान पर नयी संवैधानिक व्यवस्था में तब्दील करना भी था। भारतीय गणतंत्र का ढांचा तो बन गया जिसे थारतीय के लिए संविधान ने एक दूसरे से स्वतंत्र किन्तु एक दूसरे को बैलेंस करने वाले विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के तीन आधार बना दिए। इन तीनों में किसी को एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना था। संविधानिक संस्थाओं के सदस्यों को लोकतान्त्रिक प्रक्रिया से जुने जाने की व्यवस्था की गई और जिन्हें जनहितकारी नीतियां बनाने और शासन व्यवस्था को लागू करने दायित्व मिला। उनका कार्य लोकतान्त्रिक जिम्मेदारी के तहत होता है, न कि किसी व्यक्तिगत या सामंती सत्ता के रूप में। लेकिन हम देखते हैं कि राजनीति का पूरा आधार लोकसेवा का नहीं सत्ता का आकर्षण बन गया है। इससे व्यक्तिगत फायदे पाने के लिए लोग इसमें आते हैं और ऐसे लोगों की ही पूछ राजनैतिक दलों में भी होने लगी है। आजादी के बाद देश में अनेक बार कोशिशें हुई कि चुनावों में उम्मीदवार का चयन निर्वाचन क्षेत्र के लोग करें परंतु यह हक़ पार्टी आलाक़र्षियों के हाथों में चला गया और सत्ता का दुरुपयोग होना सामान्य चलन हो गया। भारतीय संविधान में सभी नागरिक बराबर हैं। देश की संप्रभुता यहां के प्रत्येक नागरिक के हाथ में है। संविधान इस कथन के साथ शुरू होता है कि हम भारत के लोग अपने आप को यह संविधान देते हैं। यह संविधान का निचोड़ उसके आमुख या प्रस्तावना में है। लेकिन विधायकों व संसदों का गैर-जिम्मेदाराना सार्वजनिक व्यवहार निश्चित रूप से खुद को पहला और हम भारत के लोगों को दोयम दर्जे का मानने वाला हो चला है।

भारतीय संविधान विधायकों और संसदों के कर्तव्यों और दायित्वों का निर्धारण करता है। इन दायित्वों का उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रणाली को सुचारु रूप से चलाना, सार्वजनिक भलाई सुनिश्चित करना होता है। कानून निर्माता होने के साथ-साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने चुनाव क्षेत्रों के मुद्दों को संसद और विधानसभा में उठाने की जिम्मेवारी होती है। लेकिन वे मुद्दे क्या होते हैं यह महत्वपूर्ण है। वे नीति संबंधी मुद्दे और समान न्याय आधारित विकास को सुनिश्चित करने वाले हो सकते हैं। विधायकों और संसदों का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य सरकार और प्रशासन की निगरानी करना भी होता है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे किसी संवैधानिक न्याय प्रक्रिया से ऊपर हो जाते हों। उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि सरकारी योजनाएं और नीतियां सही तरीके से लागू हो रही हैं और जनता के हित में हैं। इसके लिए संसद तथा विधानसभाओं के मंच होते हैं जहां उन्हें अपनी बात पुरजोर और तर्कपूर्ण तरीके से रखने का मौका मिलता है। वे प्रश्न पूछकर, समिति रिपोर्ट की जांच करके और विधायिका में चर्चा करके सरकारी कार्यों की समीक्षा करते हैं। मगर पेशेवर नेताओं को सौम्य व्यवहार रास नहीं आता। वे सदनों में भी कार्यवाही को बाधित करने की अपनी क्षमता पर गर्व करते हैं। उन्हें भारतीय संविधान और उसके तहत दिए गए अधिकारों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सम्मान करना कौन सिखाये, यह बड़ा सवाल है। विभिन्न राजनैतिक दलों की अपने उम्मीदवारों की छवि की जगह उनमें चोट बटोरने की क्षमता में अधिक रुचि होती है ताकि वे बहुमत पा कर सरकार बना सकें। सत्ता पाने की वैसी ही दौड़ है जैसी कभी रियासती सत्ताओं के बीच होती थी। यह भी सच है कि मतदाता केवल आदर्शवाद या नायकत्व से प्रभावित नहीं होते, बल्कि वे अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपने नेताओं से लाभ पाने की भी उम्मीद करते हैं। अनेक नेताओं की रूबिनहुड जैसी छवि चुनावी रणनीति का हिस्सा बन जाती है। सरकार की जवाबदेही की तो संविधान में व्यवस्था है लेकिन निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही की कोई व्यवस्था नहीं है। मतदाता का अंकुश काम करता नज़र नहीं आता क्योंकि चुनाव में दलीय व्यवस्था में पार्टी संबद्धता के चलते मतदाता द्वारा अनेक बार नापसंद उम्मीदवार को भी समर्थन देते हमने देखा है। कुछ नेता अपनी लड़ाका छवि बनाकर अपनी जाति पर वचंस्व जमा कर अपनी सामाजिक स्थिति, सामर्थ्य और नेटवर्क से राजनैतिक सौदेबाजी करते हैं। कई नेता प्रशासन के लिए ही सिरदेर नहीं होते बल्कि निजी संस्थानों के जबरन संरक्षक बनकर भी अपनी सत्ता बनाए रखते हैं जिससे उनके निजी कार्यकर्ताओं का गुजारा होता रहे। इनमें अनेक उत्साही और मुखर दिखने का प्रयास करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों को हम अक्सर अपने विचारों को व्यक्त करते हुए समाज में सरंग भी डालते हुए भी पाते हैं। राजनैतिक दलों की यह दायित्व बनता है कि वे अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सिखाये कि उनका सार्वजनिक व्यवहार कैसा हो क्योंकि विनम्रता और ईमानदारी लोकतंत्र की पहली शर्त होती है।

कार्यपालिका और न्यायपालिका के तीन आधार बना दिए। इन तीनों में किसी को एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना था। संविधानिक संस्थाओं के सदस्यों को लोकतान्त्रिक प्रक्रिया से जुने जाने की व्यवस्था की गई और जिन्हें जनहितकारी नीतियां बनाने और शासन व्यवस्था को लागू करने दायित्व मिला। उनका कार्य लोकतान्त्रिक जिम्मेदारी के तहत होता है, न कि किसी व्यक्तिगत या सामंती सत्ता के रूप में। लेकिन हम देखते हैं कि राजनीति का पूरा आधार लोकसेवा का नहीं सत्ता का आकर्षण बन गया है। इससे व्यक्तिगत फायदे पाने के लिए लोग इसमें आते हैं और ऐसे लोगों की ही पूछ राजनैतिक दलों में भी होने लगी है। आजादी के बाद देश में अनेक बार कोशिशें हुई कि चुनावों में उम्मीदवार का चयन निर्वाचन क्षेत्र के लोग करें परंतु यह हक़ पार्टी आलाक़र्षियों के हाथों में चला गया और सत्ता का दुरुपयोग होना सामान्य चलन हो गया। भारतीय संविधान में सभी नागरिक बराबर हैं। देश की संप्रभुता यहां के प्रत्येक नागरिक के हाथ में है। संविधान इस कथन के साथ शुरू होता है कि हम भारत के लोग अपने आप को यह संविधान देते हैं। यह संविधान का निचोड़ उसके आमुख या प्रस्तावना में है। लेकिन विधायकों व संसदों का गैर-जिम्मेदाराना सार्वजनिक व्यवहार निश्चित रूप से खुद को पहला और हम भारत के लोगों को दोयम दर्जे का मानने वाला हो चला है।

भारतीय संविधान विधायकों और संसदों के कर्तव्यों और दायित्वों का निर्धारण करता है। इन दायित्वों का उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रणाली को सुचारु रूप से चलाना, सार्वजनिक भलाई सुनिश्चित करना होता है। कानून निर्माता होने के साथ-साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने चुनाव क्षेत्रों के मुद्दों को संसद और विधानसभा में उठाने की जिम्मेवारी होती है। लेकिन वे मुद्दे क्या होते हैं यह महत्वपूर्ण है। वे नीति संबंधी मुद्दे और समान न्याय आधारित विकास को सुनिश्चित करने वाले हो सकते हैं। विधायकों और संसदों का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य सरकार और प्रशासन की निगरानी करना भी होता है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे किसी संवैधानिक न्याय प्रक्रिया से ऊपर हो जाते हों। उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि सरकारी योजनाएं और नीतियां सही तरीके से लागू हो रही हैं और जनता के हित में हैं। इसके लिए संसद तथा विधानसभाओं के मंच होते हैं जहां उन्हें अपनी बात पुरजोर और तर्कपूर्ण तरीके से रखने का मौका मिलता है। वे प्रश्न पूछकर, समिति रिपोर्ट की जांच करके और विधायिका में चर्चा करके सरकारी कार्यों की समीक्षा करते हैं। मगर पेशेवर नेताओं को सौम्य व्यवहार रास नहीं आता। वे सदनों में भी कार्यवाही को बाधित करने की अपनी क्षमता पर गर्व करते हैं। उन्हें भारतीय संविधान और उसके तहत दिए गए अधिकारों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सम्मान करना कौन सिखाये, यह बड़ा सवाल है। विभिन्न राजनैतिक दलों की अपने उम्मीदवारों की छवि की जगह उनमें चोट बटोरने की क्षमता में अधिक रुचि होती है ताकि वे बहुमत पा कर सरकार बना सकें। सत्ता पाने की वैसी ही दौड़ है जैसी कभी रियासती सत्ताओं के बीच होती थी। यह भी सच है कि मतदाता केवल आदर्शवाद या नायकत्व से प्रभावित नहीं होते, बल्कि वे अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपने नेताओं से लाभ पाने की भी उम्मीद करते हैं। अनेक नेताओं की रूबिनहुड जैसी छवि चुनावी रणनीति का हिस्सा बन जाती है। सरकार की जवाबदेही की तो संविधान में व्यवस्था है लेकिन निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही की कोई व्यवस्था नहीं है। मतदाता का अंकुश काम करता नज़र नहीं आता क्योंकि चुनाव में दलीय व्यवस्था में पार्टी संबद्धता के चलते मतदाता द्वारा अनेक बार नापसंद उम्मीदवार को भी समर्थन देते हमने देखा है। कुछ नेता अपनी लड़ाका छवि बनाकर अपनी जाति पर वचंस्व जमा कर अपनी सामाजिक स्थिति, सामर्थ्य और नेटवर्क से राजनैतिक सौदेबाजी करते हैं। कई नेता प्रशासन के लिए ही सिरदेर नहीं होते बल्कि निजी संस्थानों के जबरन संरक्षक बनकर भी अपनी सत्ता बनाए रखते हैं जिससे उनके निजी कार्यकर्ताओं का गुजारा होता रहे। इनमें अनेक उत्साही और मुखर दिखने का प्रयास करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों को हम अक्सर अपने विचारों को व्यक्त करते हुए समाज में सरंग भी डालते हुए भी पाते हैं। राजनैतिक दलों की यह दायित्व बनता है कि वे अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सिखाये कि उनका सार्वजनिक व्यवहार कैसा हो क्योंकि विनम्रता और ईमानदारी लोकतंत्र की पहली शर्त होती है।

–अतिथि संपादक, राजेन्द्र बोड़ा (वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

राशिफल

बुधवार 9 अप्रैल, 2025
चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2082, मघा नक्षत्र प्रातः ९:57 तक, राँउ योग सार्य 6:25 तक, बृह करण दिन 1०:04 तक, चन्द्रमा आज सिंह राशि में संचार करेगा।
ग्रह स्थिति: सूर्य-मीन, चन्द्रमा-सिंह, मंगल-कर्क, बुध-मीन, गुरू-वृष, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।
आज राजयोग दिन ९:57 से रात्रि 1०:56 तक है। आज प्रदोष व्रत, अंगन त्रयोदशी, श्री महावीर जयन्ती है।
श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से ९:21 तक, शुभ 1०:55 से 12:28 तक, चर 3:36 से 5:1० तक, लाभ 5:1० से सूर्यास्त तक।
राहुकाल: 12:0० से 1:3० तक। सूर्योदय 6:13, सूर्यास्त 6:44

वर्तमान समय में भगवान महावीर के सिद्धांतों की प्रासंगिकता–1



भागचन्द्र जैन मित्रपुरा

जैन धर्म अनादि, अनंत – शाश्वत– सनातन धर्म है। इस हुंदावसर्पिणी काल में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ थे एवं अन्तिम 24वें तीर्थंकर वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर हैं। तेइसवें तीर्थंकर भगवान पार्वनाथ के मोक्ष चले जाने के कुछ वर्षों के बाद भारत वर्ष में अनेक मत – मतोंतर प्रचलित हो गए थे। उस समय मनुष्य भ्रान्तिवश स्वर्ग प्राप्ति के लोभ में जीवित पशुओं को यज्ञ में बलि देते थे। बौद्ध धर्म की क्षिणक वादिता को अपना कर मन में संताप कर रहे थे। वैदाित्यों के प्रपंच में पड़कर आत्म हित से परे हो रहे थे। धर्म को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जा रहा था। मिथ्यात्व का तिर्मि घर कर गया था। ऐसे समय में कल्याण का मार्ग दिखाने वाले किसी उद्धारक की नितांत आवश्यकता थी। सृष्टि का क्रम जन मानस की आवश्यकतानुरूप हुआ करता है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्व-पर के कल्याण मार्ग प्रशस्तक के रूप में सोलहवें अच्युत स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान से इंद्र का इस धरा पर वर्धमान नाम से अवरोहण हुआ, जिन्हें तीर्थंकर महावीर के नाम से भी जाना जाता है।

जीवन परिचय–भगवान महावीर का जन्म 5९9 ई.पूर्व क्षत्रीय कुण्डग्राम (कुण्डलपुर– वैशाली) वर्तमान बिहार राज्य में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ एवं माता का नाम रानी प्रियकारिणी (त्रिशला) था। महावीर के जन्म के समय स्वर्गलोक से जन्मोत्सव मनावे आए सौधर्म इंद्र ने बालक की शक्ति को अनुभव किया और वीर नामकरण कर दिया। महावीर के जन्म के साथ ही राज्य समृद्ध होने लगा एवं चारो ओर राज्य की कौर्ति फैलने लगी, इसे देखते हुए बालक का वर्धमान नाम रखा गया। कालांतर में दो चारण ऋद्धिधारी मुनियों का शंका समाधान वर्धमान को देखते ही स्वतः ही हो गया, उन्होंने वर्धमान को सन्मति नाम से पुकारा। गजशाला के एक मदनोन्मत्त हाथी के वश में करने पर अतिमरुत कहलाए।

संगम देव द्वारा भयंकर सर्प का रूप धारण कर वर्धमान को शूरवीरता की परीक्षा ली गई। सर्प को वश में कर लेने पर महावीर के नाम से जाने जाने लगे।

महावीर जन्म से ही आमजन के हितार्थ कार्यों में लग गए थे। महावीर समय के साथ धीरे–धीरे बढ़ते होने लगे। उनकी समझ तो बाल्यकाल से ही अद्भुत थी। उन्हें अपने आत्म कल्याण की समझ आने लगी था। वे इस संसार को निस्सार मानते हुए भोगों में कभी प्रवृत्त नहीं हुए और आत्म चिंतन में लीन रहने लगे। इस समय वर्धमान के विवाह के प्रस्ताव आने लगे लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। महावीर जब तीस वर्ष के थे, तब पिता राजा सिद्धार्थ ने उन्हें राज कार्य संभालने हेतु कहने पर महावीर ने कहा कि जिस जंजाल से वे स्वयं बचना चाह रहे हैं उसमें मुझे फंसाने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। वे माता पिता को अपने प्रयोजन से संतुष्ट करने के बाद तीस वर्ष की अवस्था में ही गृह त्याग कर वन की ओर प्रस्थान कर आत्म ध्यान में लीन हो गए। लगतार 12 वर्ष 5 माह एवं 15 दिन तक तप, संयम एवं साम्यभाव की साधना की, पंच महाव्रत आत्मसात किया। महावीर एक दिन ऋजुकूला नदी के किनारे आत्म ध्यान में लीन थे तब घातिया कर्मों का नाश कर वैशाख शुक्ला दशमी के दिन सम्पूर्ण ज्ञान, वेदगत ज्ञान प्राप्त हुआ। इंद्र की आज्ञा पाकर धनपति कुबेर ने समवशरण की रचना की। लेकिन गणधर के अभाव में, 66 दिन तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। इंद्रभूति नामक ब्राह्मण के समवशरण में आने पर ही भगवान की दिव्य वाणी खिरी। इंद्रभूति के प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रथम उपदेश में जीव के स्वरूप का ज्ञान कराया।

इंद्रभूति ही भगवान के प्रथम गणधर बने जो गौतम गणधर के नाम से प्रसिद्ध हुए। तीर्थंकर के 1० और गणधर बने। इनके समवशरण में देव, नर, तिर्यच गति के जीवों ने सदुपदेश प्राप्त किये। भगवान अर्थ–मागधी भाषा में तत्वों का उपदेश करते थे और गौतम गणधर उसे ठाहण करते थे। एक बार समवशरण में गौतम गणधर ने भगवान महावीर से प्रश्न किया कि, भंते ! दो व्यक्ति हैं, एक तो दिन रात आपकी भक्ति में लगा रहता है, जिससे उसे जन सेवा के लिए समय ही नहीं मिलता। दूसरा व्यक्ति वह है जो दिन रात जन सेवा में लगा रहता है, जिसके पास आपकी भक्ति के लिए समय ही नहीं है। इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? धन्य है? पुण्यशाली है? महावीर ने समाधान

दिए। इंश्वर की सत्ता की जगह हम सब में ईश्वर बनने की क्षमता का संचार किया। मनुष्य स्वयं अपना कर्ता है। यह सृष्टि अनादि, अनंत है एवं कर्म सिद्धांतो पर चलती है। फल देने का या दंडित करने का कार्य ईश्वर का नहीं है। हम जानते हैं कि कंप्यूटर में जो कुछ भी फीड किया जाता है, परिणाम तदनु रूप ही आता है। तीर्थंकर महावीर ने अप्पा सो परमप्पा का उपदेश देकर विना किसी भेदभाव के प्रत्येक जीव और आत्मा को परमात्मा बनने का मार्ग बताया। गुणों की अपेक्षा से पुण्य विकसित आत्मा ही परमात्मा है। अन्य किसी भी धर्म में मनुष्य को अपने कर्म फल प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं दिया है। अन्य धर्मों में ईश्वर अवतार लेता है एवं उसे कर्ता एवं फल प्रदाता माना गया है।

केसरीसिंहपुर पालिका में चेयरपर्सन के फर्जी हस्ताक्षर से ईओ और बाबू ने पट्टा जारी किया

■ **पालिका चेयरपर्सन ने वसूल की गई 66,917 की राशि के स्थान पर सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ 24 हजार कुछ रुपए ही जमा करवाकर शेष राशि का गबन का भी आरोप लगाया**

कर 66,९15 रुपए का डिमांड नोटिस जारी किया। इसके बाद पत्रावली में राशि जमा होना दर्शाते हुए पट्टा जारी करने के लिए पत्रावली चेयरपर्सन सुमिता रानी के पास भेजी गई। प्लाट का नक्शा टाउन प्लानर से पास नहीं होने के कारण चेयरपर्सन ने इस पट्टे पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इसके बाद गुपचुप चेयरपर्सन के फर्जी हस्ताक्षर से पट्टा जारी कर दिया गया। मामला संज्ञान में आने पर चेयरपर्सन ने ईओ से इस मामले की जांच करवाने के लिए कहा, लेकिन तीन दिन बीतने के बाद भी जांच नहीं करवाई गई तो चेयरपर्सन ने पट्टा संबंधी रिकॉर्ड

मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन हम अपने अनुभव से जान सकते हैं कि कर्म सिद्धांत स्वतः अपना कार्य करते हैं। भगवान महावीर ने सांसारिक सुख की प्राप्ति एवं साथ ही मोक्षमार्ग पर चलने हेतु श्रावकों को पंच अणुव्रत एवं श्रमणों को पंच महाव्रत (निम्न 3– 7) के सिद्धांत अपनाने पर जोर दिया। स्व कल्याण के साथ, जन कल्याण एवं विश्व कल्याण भी संभव है।

3. अहिंसा व्रत– भगवान महावीर ने अहिंसा के सूक्ष्मतम रूप का व्यापक विश्लेषण किया है। अहिंसा को जीवन शुद्धि का आधार बताया है। अहिंसा परमो धर्म:, अहिंसा ही महान धर्म है। महावीर के जीओ और जीने दो के सूत्र में बहुत ही गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। यह कथन आत्म–साक्षात्कार और सार्वभौमिकता का प्रतीक है। एक मात्र इसी सिद्धांत की पालना से हम विश्व बंधुत्व की परिकल्पना साकार कर सकते हैं। इसका विश्लेषण करते हैं तो जानते हैं कि स्वयं के जीवन के बारे में सोचने में ही किसी अन्य के जीवन की अनुभूति अंतर्निहित है। हम यदि वास्तविकता में स्वयं अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो हमे न केवल आसपास बल्कि सभी के हितों का ध्यान रखना होगा तभी स्वयं का जीवन निरापद होगा। अहिंसा का अर्थ है किसी प्राणी का घात न करना, अपशब्द न बोलना तथा मानसिक रूप से किसी का अहित न सोचना। एक वाक्य में यदि कहा जाए तो दुर्भाग्य का अभाव तथा समभाव का निर्वाह ही अहिंसा है। अहिंसा सहअस्तित्व, सिंघुण्ठा की भावना का प्रतीक है। किसी के प्रति मन में बुरे विचार आना, बदले की भावना से सोचना आदि को भी हिंसा की श्रेणी में माना गया। विचारो से ही हमारी मनस्थिति विकसित होती है एवं तदनुसार हम प्रतिक्रिया देते है। शान्तिपूर्ण जीवन के लिए अहिंसात्मक आचरण की आवश्यकता है। जीने का अधिकार प्राणी मात्र को है। सभी को जीने का अधिकार है। किसी दूसरे के अच्छे जीवन की कामना से ही स्वयं का जीवन खुशहाल हो सकता है, यही सत्य है। मन, वचन और कर्म से अहिंसा को आत्मसात करने का संदेश स्थाई शान्ति के लिए महत्वपूर्ण है। भगवान महावीर ने इसी और पर विजय प्राप्त करने की बजाय, जिसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, स्वयं पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा दी।

अहिंसा पालन जैन धर्म का एकाधिकार नहीं है, शीर्ष मार्ग दर्शक जरूर है। वर्तमान में इस सिद्धांत की पालना केवल सीमित व्यक्तियों द्वारा ही दूसरों का बुरा चाहकर कोई भी अपना भला नहीं कर सकता है। भगवान महावीर की अहिंसा के अमोघ हथियार को महात्मा गंधी ने अपनाया और भारत को शक्तिशाली अंग्रेजों की दासता से मुक्त कराया। कई धर्मों में अहिंसा धर्म बताया गया है लेकिन जिस सूक्ष्मता के साथ महावीर ने अहिंसा का स्वयं पालन किया है और ज्ञान दिया है, वह समुचित है। 4. सत्य व्रत – जो वस्तु जैसी है, उसे वैसा ही मानना सत्य है। अहिंसा के बाद सत्य का क्रम आता है। सत्य का अर्थ सत् शब्द से आया है जिसका मतलब है वास्तविक होना, वस्तु स्थिति, तथ्य से अवगत होना। सत्य विपरीत मिथ्यात्व इस संसार में भ्रमण का कारण बनता है। अपने निरीह स्वाध के कारण सत्य का साथ नहीं छोड़ना, व्यक्ति को जिम्मेदार और विश्वसनीय बनाता है और अंततोगत्वा वह आदर का पत्र बन जाता है। सत्य का शाब्दिक अर्थ सभी का कल्याण। इस कल्याण की भावना को हृदय में धारण करके ही व्यक्ति सत्य बोल सकता है।

(शेषांश के अंक में) संकलन–भागचंद जैन मित्रपुरा

पूर्व सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, अध्यक्ष, अ.भार. जैन बैरर्स फोरम, जयपुर पूर्व कंसल्टंट एलबीआई लाइफ

गुणा 60 फीट साइज प्लाट का पट्टा जारी करने के लिए आवेदन किया। इसमें 42,0०0 रुपए की राशि का डिमांड नोटिस जारी कर राशि जमा करवाई गई तथा पट्टा भी जारी कर दिया गया। एक पट्टे में फर्जीबाड़ा पकड़ में आने के बाद चेयरपर्सन ने अपने पति के नाम से जारी पट्टे की जमा राशि का रिकॉर्ड देखा तो राशि जमा ही नहीं होना पाया गया। अब इस मामले की शिकायत निकाय विभागे से की है।

अधिशासी अधिकारी विश्वास गोदारा ने बताया कि पालिका चेयरपर्सन ने इस मामले से अवगत करवाया है। इस मामले में कमेटी गठित कर कनिष्ठ सहायक मुकेश कुमार के कार्यकाल में दस्तावेजों की जांच करवाने के लिए निकाय विभागे के उपनिदेशक को पत्र लिखा गया है। तत्कालीन कनिष्ठ सहायक मुकेश कुमार ने बताया कि लिपिकीय भूल से कोई चूक हो गई होगी। पुराना मामला है। मेरे संज्ञान में नहीं है। नगरपालिका से पूरी जानकारी मिल सकती है। मेरा स्थानांतरण हो गया। चेयरपर्सन सुमिता रानी का कहना है कि फर्जी हस्ताक्षर से पट्टा जारी करने का मामला पकड़ में आया है। साथ ही डिमांड नोटिस के अनुसार वसूल की गई राशि भी सरकारी खजाने में जमा नहीं है। अधिशासी अधिकारी व बाबू की मिलीभगत से बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार कर गबन किया गया है। जो पट्टा मेरे फर्जी हस्ताक्षर से जारी किया गया है। उस पर अधिशासी अधिकारी विश्वास गोदारा के हस्ताक्षर हैं। पालिका में बीते वर्षों में किए गए भ्रष्टाचार व गबन मामले की जांच के लिए निकाय विभागे के उच्चाधिकारियों को शिकायत भेजी गई है।

परिसीमन को लेकर मोर्चा खोला

मसूदा, (निर्स)। मसूदा क्षेत्र के ग्राम श्यामगढ़, केरिया व चाचोडिया के ग्रामीणों ने परिसीमन को लेकर मोर्चा खोला। मसूदा उपखंड क्षेत्र में राजस्व परिसीमन को लेकर हाल ही में बनी ग्राम पंचायत को लेकर आसपास के ग्रामीण गांव को अदला-बदली के चलते लाभबंद हो गए। एसडीओ केरिया एवं श्यामगढ़ के ग्रामीणों द्वारा उपखंड अधिकारी के समक्ष ज्ञापन प्रेषित किया

मिथुन	कर्क
	
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।	आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित खोत से घन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों पर नियंत्रण बढ़ेगा। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

धनु	मकर
	
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।	आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बन्ते कार्य विगड़ सकते हैं। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा नहीं है।

राज्य सरकार किसानों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है : भजनलाल

‘बजट में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए 3400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया ’

हनुमानगढ़/जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। किसान कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं। सरकार ने किसान हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार रूपए कर दिया है। गेहूं की एमएसपी पर 150 रुपये का अतिरिक्त बोनास देने का निर्णय किया गया है। इस निर्णय का श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि ये राज्य के सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिलों में से हैं। हमने करीब 47 लाख किसानों को लगभग 29 हजार करोड़ रुपये का अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण भी वितरित किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को हनुमानगढ़ के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं किसानों द्वारा आयोजित स्वागत समारोह तथा सर्किट हाउस में आयोजित कार्यकर्ता बैठक को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि मैं स्वयं किसान



हनुमानगढ़ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भाजपा कार्यकर्ताओं एवं किसानों ने स्वागत किया।

परिवार से आता हूं। इसलिए किसानों की समस्याओं को भली भांति समझता हूं। सिंचाई के लिए किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध हो, इसके लिए हमने सरकार में आते ही ईआरसीपी को लेकर महत्वपूर्ण समझौता किया। हमने इस परियोजना का नामकरण राम जल सेतु लिंक परियोजना करते

हुए इसके तहत 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य प्रारंभ कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी तरह हमने शेखावाटी को यमुना जल समझौते की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए बजट में हमने 3 हजार 400 करोड़ के कार्यों की घोषणा की है। यहां के किसानों की

पक्के खालों के पुर्ननिर्माण की वषों पुरानी मांग को पूरा करने के लिए 590 करोड़ रुपये की लागत से संगरिया, टिब्बी, रावतसर, हनुमानगढ़ और पीलीबंगा के कुल एक लाख सात हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में पक्के खालों का पुर्ननिर्माण किया जाएगा, जिससे सिंचाई का तंत्र और अधिक सुदृढ़ होगा।

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हनुमानगढ़ में कार्यकर्ताओं एवं किसानों द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में शिरकत की**

भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र है, पार्टी और व्यक्ति बाद में है। इस दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरोलाल नागर, पूर्व सांसद निहालचंद मेघवाल, पूर्व विधायक धर्मेन्द्र मोची एवं गुरदीप शाहपीनी, भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, भाजपा प्रदेश मंत्री विजेन्द्र पूनिया, भाजपा के हनुमानगढ़ जिला अध्यक्ष प्रमोद डेवू, सभी जिला मोर्चा अध्यक्षों सहित भाजपा कार्यकर्ता, किसान एवं आमजन उपस्थित रहे।

स्कूल से लाखों का माल चोरी करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

उदयपुर, (निसं)। जिले के झाड़ोल थाना क्षेत्र में मोहम्मद फलासिया स्थित राजकीय विद्यालय से लाखों का माल चोरी करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर चोरी किया नौ लाख का माल बरामद किया।

प्रकरण के अनुसार 4 अप्रैल 2023 को हेमन्त पुत्र प्रभुलाल निवासी गोदाणा हाल प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहम्मद फलासिया ने झाड़ोल पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि विद्यालय से राज्य सरकार की योजना के तहत प्राप्त 2 एलईडी,

■ **आरोपियों से पुलिस ने चोरी किया नौ लाख का माल बरामद किया**

सेटअप बॉक्स व अन्य सामग्री चोरी हो गई हैं, जिसकी बाजार कीमत 9 लाख रुपये है।

इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल, पुलिस उप

अधीक्षक नेत्रपालसिंह के सुपरविजन में झाड़ोल थानाधिकारी फैलीराम के नेतृत्व में गठित दल ने मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपी रोशनलाल पुत्र दीताराम निवासी मोहम्मद फलासिया, अशोक कुमार पुत्र मालूराम निवासी मोहम्मद फलासिया, लोकेश कुमार पुत्र शिवलाल निवासी मोहम्मद फलासिया को डिटेन कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों चोरी किया नौ लाख रूपये का माल बरामद किया। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

निजी लैब से जांच कराने पर अधीक्षक जयपुर तलब

बीकानेर, (निसं)। पीबीएम अस्पताल में मरीजों के निशुल्क इलाज के नाम पर अव्यवस्थाएं थम नहीं रही। बच्चा अस्पताल में मरीजों को दवाएं भी खरीदनी पड़ रही हैं। बुखार, एलर्जी, दस्त जैसी सामान्य दवाएं भी डीडीसी पर नहीं मिल रही हैं। उधर भर्ती बच्चों की जांचें निजी लैब से कराने के मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट लेकर अधीक्षक को जयपुर तलब कर लिया गया है।

पीबीएम बच्चा अस्पताल में बच्चों के बुखार के लिए सिरप पैरासीटामोल, अस्थमा में काम आने वाली सालबुटामोल, एंटी एलर्जी सेट्राजीन, हाइड्रोजन ड्रॉप, नेजल स्लीव, सिरप

मल्टीविटामिन, पोटेशियम क्लोराइड, फेनोबार्बिटो, एजीप्रामाईसिन 250, लैक्टिक एसिड और इजेक्शन सोडियम वैलप्रोएट की निशुल्क सप्लाई नहीं हो रही। ओपीडी और आईपीडी दोनों ही तरह के मरीजों का यह दवाएं डीडीसी पर निशुल्क उपलब्ध नहीं हैं। उन्हें मजबूरी में बाहर से खरीदनी पड़ रही है। अधिकांश मरीज बुखार, जुकाम, एलर्जी, दस्त के आ रहे हैं। उन्हें पूरी दवाएं नहीं मिल रही। सबसे ज्यादा परेशानी भर्ती मरीजों को हो रही है। रात के समय इमरजेंसी में दवा की जरूरत पड़ने पर अस्पताल से बाहर मेडिकल की दुकानों पर जाना पड़ता है।

पन्द्रह लाख का अवैध-डोडा पोस्ट सहित एक गिरफ्तार

जालोर, (कासं)। जालोर जिले के भीनमाल पुलिस ने मंगलवार को 99 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा-पोस्ट बरामद कर एक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं अवैध मादक पदार्थ डोडा-पोस्ट परिवहन में प्रयुक्त वाहन स्वीफ्ट कार को भी जब्त किया है। बरामदसुदा अवैध मादक पदार्थ डोडा-पोस्ट की बाजार कीमत 15 लाख रूपये आंकी गई है।

जिला पुलिस अधीक्षक को सूचना

■ **छह प्लास्टिक के कट्टे व एक बोरे में 99 किलो डोडा-पोस्ट मिला**

मिली कि एक स्वीफ्ट गाड़ी सदिग्ध लग रही है तथा उसमें अवैध मादक पदार्थ भरा हुआ होने की संभावना है जिस पर जिले में नाकाबंदी शुरू की गई। पुलिस थाना रामसीन एवं भीनमाल की नाकाबंदी तोड़कर फरार होने पर एक स्वीफ्ट कार की गजीपुरा, कोडिटा, सावीदर, खाण्डादेवल में तलाशी की गई तथा पीछा कर रामेश्वर भाटी थानाधिकारी भीनमाल मय जाब्ता द्वारा सरहद गजीपुरा से स्वीफ्ट कार मय



भीनमाल पुलिस ने अवैध डोडा पोस्ट सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया

आरोपी को दस्तयाब किया गया। कार की तलाशी ली गई तो 6 प्लास्टिक के कट्टे व एक बोरे में 99 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा-पोस्ट मिला। डोडा-पोस्ट को बरामद कर, आरोपी धोलाराम उर्फ धिरेन्द्र पुत्र करनाराम तेतरवाल विश्नोंई निवासी लापला की ढाणी पुनासा को गिरफ्तार किया गया।

वहीं सहयोगी आरोपी विकास पुत्र किसनाराम जांगु विश्नोंई निवासी पुनासा की तलाश जारी है। मुलजिम के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर जांच थानाधिकारी पुलिस थाना रामसीन द्वारा की जा रही है। बरामद अवैध मादक पदार्थ डोडा-पोस्ट की बाजार किमत करीबन 15 लाख रूपये आंकी गई है।

खेत में दबिशा देकर अफीम डोडा-चूरा पकड़ा कपासन, (निसं)। कपासन पुलिस को मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत जयपुरा गांव के एक खेत से 74.815

किलो अवैध अफीम डोडा-चूरा बरामद कर एक युवक को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। एएसपी सरिता सिंह और डीएसपी हरजीलाल यादव के मार्गदर्शन में कपासन थाना पुलिस ने यह अहम कार्रवाई अंजाम दी। कार्यवाहक थानाधिकारी चन्द्र प्रभात के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर जयपुरा गांव स्थित एक खेत में दबिशा दी। तलाशी के दौरान खेत में तिरपाल के नीचे छिपाकर रखे गए चार प्लास्टिक के कट्टों में यह मादक पदार्थ मिला। पुलिस ने खेत से 74.815 किलो अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद कर खेत के मालिक कालूराम (25) पुत्र चुन्नीलाल गाडरी निवासी जयपुरा को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

इस कार्रवाई में कार्यवाहक थानाधिकारी चन्द्रप्रभात के साथ कांस्टेबल महेंद्र सिंह, राजेश, बट्टीलाल, कुंज बिहारी, किशनलाल, लक्ष्मीनारायण, वेदप्रकाश एवं चालक युवराज सिंह शामिल थे।

प्लास्टिक के शोरूम में लगी आग से 80 लाख का नुकसान

शॉर्ट सर्किट होने से शोरूम के पीछे गोदाम में आग लगी थी

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक प्लास्टिक के सामान के शोरूम में अचानक आग लग गई। शोरूम खोलने के कुछ ही मिनट बाद आग लग गई जो धीरे-धीरे बेकाबू होती गई। तेज लपटें और धूएं का गुबार देख आसपास लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। आग लगने से करीब 80 लाख रूपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक

■ **स्टाफ ने फायर फाइटिंग सिस्टम से आग बुझाने की कोशिश की**

प्लास्टिक के सामान के शोरूम में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी का माहौल हो गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल स्पष्ट रूप से पता नहीं लगा है। स्मार्ट शॉपी नाम के शोरूम में प्लास्टिक के टेबल, कुर्सी सहित बर्तन आदि सामान बेचे जाते हैं। शोरूम

में रखा सामान जलकर राख हो गया। ऐसे में लाखों रूपए का भारी नुकसान हुआ है। दुकान मालिक मोहनसिंह राजपुरोहित ने बताया कि शॉर्ट सर्किट होने से आग शोरूम के पीछे गोदाम में लगी थी। स्टाफ को जब पता लगा तो उन्होंने फायर फाइटिंग सिस्टम से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन धीरे-धीरे आग बेकाबू होते हुए फैलती गई, जिसके बाद स्टाफ ने बाहर भागकर अपनी जान बचाई। दुकान में लगभग सारा माल जलकर राख हो गया।

मकान का ताला तोड़ जेवर व नकदी चुराई

उदयपुर, (निसं)। शहर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में स्थित मकान का चोर ताला तोड़कर जेवरत व नकदी चुरा ले गए। अन्यत्र पहाड़ा थाना क्षेत्र में सूने मकान से चोर चांदी के जेवरत चुरा ले गए।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पंडित हेमन्त पुत्र औंकारलाल सोनी निवासी जे ब्लॉक सेक्टर 14 के सूने मकान का अज्ञात चोर पात्र दिनों ताला तोड़कर सोने का हार, सोने की 2 चेन, चार अंगूठियां, 4 चूड़ियां, चांदी की पायल 4 जोड़ी, बिछियां, 12 हजार रूपये नकदी चुरा ले गए। घर लौटने पर ताला टूटा हुआ एवं सामान बिखरा मिला, तलाश की तो जेवरत व नकदी गायब थी। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। इसी तरह पहाड़ा थाना क्षेत्र मंजू देवी पत्नी दयालाल लबाना निवासी आडोवली के सूने मकान का पांच अप्रैल रात में चोर ताला तोड़ कर चांदी के कड़े व कंदोरा चुरा ले गए। पीडिता मंजूदेवी नडियाद माताजी के दर्शन करने गई थी। वापस लौटी तो ताला टूटा हुआ था एवं सामान बिखरा पड़ा था।

नशे में धुत बोलेरो चालक ने बाइकों को कुचला

मालपुरा, (निसं)। मंगलवार की दोपहर लाम्बाहरसिंह कस्बे में मोरला रोड पर नशे में धुत एक बोलेरो चालक ने सड़क किनारे खड़ी आधा दर्जन बाइकों को कुचल दिया। बस स्टैण्ड पर बैठे लोगों ने बताया कि दोपहर में नशे में धुत एक व्यक्ति बोलेरो कार को बस स्टैण्ड से मोरला रोड तक तेज गति से भगाता हुआ ले जा रहा था। इसी दौरान चालक ने सड़क किनारे खड़ी आधा दर्जन बाइकों को टक्कर मार तकरीबन दो सौ मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। गनीमत रही कि हादसे के दौरान बाइकों पर कोई व्यक्ति सवार नहीं था। लोगों ने पीछा कर बोलेरो चालक को दबोच धुनाई कर दी। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस को लोगों ने चालक को पुलिस के सुपुर्द किया।

चोरी की 10 बाइक पकड़ी

कोटा, (निसं)। बपावरकलां पुलिस ने पूर्व में पकड़े गये दुपहिया दो वाहन चोरों से पूछताछ के आधार पर चोरी की 10 मोटरसाइकिलों को और बरामद किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि बपावरकलां पुलिस टीम ने एक फरियादी की मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट पर कार्यवाही कर दुपहिया वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया था।

Rajasthan Grameen Aajeevika Vikas Parishad
(3rd Floor, B-Block Udhog Bhawan, C-Scheme, Jaipur-302005) Contact no. 2227416, 5188112
40(2)RD/RGAVP/Store/2024/-00703/310 Dated :- 07/04/2025

NOTICE INVITING BIDS
Online Bid for Purchase of VC Setup for Meeting Hall AIO Computer and AIO Printer for Rajasthan Grameen Aajeevika Vikas Parishad (Third Floor, B- Block, Udhog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur) by 22/04/2025 till 2 PM. The estimated value of procurement is Rs 18,50,000/- . Bid is to be applied only through e-Proc <https://eproc.rajjasthan.gov.in/>. Other particulars of the bid may be visited on the Procurement Portal <http://sppp.rajjasthan.gov.in> of the State and RGAVP portal. **NIB RGA2526GA0003, UBN RGA2526GSLB00004**
Tender Reference No.: 15395, Tender ID: 2024_RGAVP_429597.1
Raj.Samwad/C/25/433 Project Director (Admin), RGAVP

कार्यालय नगर पालिका कुड़ी भगतासनी जिला-जोधपुर
सेक्टर-सी विवेक विहार योजना, कुड़ी भगतासनी, जोधपुर
ई-मेल- Np.kudi.bh@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- न.पा.कु. / 2024 - 25 / 717 दिनांक :- 03.04.2025

NOTICE INVITING BIDS
Bid for Annual Rate Contract of procurement are invited from interested Bidders upto 15.04.2025, 9.00 AM other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<http://sppp.raj.nic.in>) or (www.gem.gov.in) of the state, and local self department website.
NIB CODE :-DLB2526A0128
UBN :-DLB2526GSG0B00504
राज.संवा.द/सी / 25 / 380

Executive Officer
Municipal Board KUDI BHAGTASANI

कार्यालय नगर परिषद बारां (राज.)
E-Mail : nagarpalikabarang@gmail.com रैलम रोड, बारां Phone : 07453-230106

क्रमांक :- न.पा./निगण/ 2025 / 135-37 दिनांक :- 04.04.2025

ई-टेंडर सूचना संख्या : निर्माण 01/2025-26
नगर परिषद बारां द्वारा राजस्थान सरकार के अभियंत्रिकी विभाग में सहम श्रेणी में पंजीकृत संवेदको अथवा पीब्ल्यूएफआर रुल के अन्तर्गत पात्र संवेदको से विभिन्न निर्माण कार्यों के लिये निष्पत्ति प्रपत्र में ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। संवेदक निविदा प्रपत्र व विवरण पोर्टल www.sppp.rajjasthan.gov.in व <http://eproc.rajjasthan.gov.in> पर देखें। कार्यों की लागत 6.47 लाख रुपये से 46.38 लाख रुपये तक है तथा UBN No. निम्नानुसार है :- 1. **DLB2526WS0B00598, 2. DLB2526WS0B00600, 3. DLB2526WS0B00602, 4. DLB2526WS0B00605**
राज.संवा.द/सी / 25 / 474 आयुक्त, नगर परिषद बारां

कार्यालय नगर परिषद बारां
E-Mail : nagarpalikabarang@gmail.com रैलम रोड, बारां (राज.) Phone : 07453-230106

क्रमांक :- न.पा. / स्वास्थ / 2025 / 153-54 दिनांक :- 04.04.2025

निविदा सूचना संख्या : 02/2025-26
नगर परिषद बारां द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु इस कार्यालय के लिए कचरा उठाने वारंटे टेंडर-टोली मय डीजल ड्राइवर किराये पर लेने के कार्य हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। संवेदक निविदा से सम्बंधित निगम/शर्तें वेब पोर्टल www.sppp.rajjasthan.gov.in पर भी देख सकते हैं। निविदाएं <http://eproc.rajjasthan.gov.in> के माध्यम से प्राप्त की जावेगी। कार्य की लागत 20 लाख रुपये है। तथा UBN NO. DLB 2526GLOB00703 है।
राज.संवा.द/सी / 25 / 472 आयुक्त, नगर परिषद बारां

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
क्रमांक :- जोधपा/2025-26/ दिनांक :- 04/04/2025

ई-निविदा सूचना संख्या - मुख्यालय/01/2025-26
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से प्राधिकरण एवं राजकीय विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदक जिनका पंजीयन 2 वर्ष की अवधि में पुनरावलोकन (Review) किया हुआ हो जो निविदा की निष्पत्ति शर्तों को पूर्ण करती है से निष्पत्ति प्रपत्र में ई-प्रोक्युरमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इन कार्य की अनुमानित लागत, निविदा बेधे जाने तथा प्राप्त करने की दिनांक, निविदा, शर्तें आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट www.jodhpurjda.org, www.eproc.rajjasthan.gov.in एवं www.sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती है। UBN No.: JOD2526WS0B000004
राज.संवा.द/सी/25/426 अधिशासी अभियंता

कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां
E Mail ID-npcphbbara@gmail.com Phone No-07452-222025

क्रमांक :- न.पा0109/ 2025 / 1841 दिनांक :- 04.04.2025

:-:-:-ई-निविदा सूचना :-:-:-
NIB NO- DLB2526A0173
नगरपालिका छबड़ा द्वारा निम्न कार्य हेतु अनुमानित 20.00 लाख रूपये की लागत से उपयुक्त श्रेणी में स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदको एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठन/ डाक दूर संचार विभाग रेल्वे इत्यादी में पंजिकृत संवेदको जो कि राजस्थान सरकार के सहम श्रेणी में पंजीकृत है से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है संवेदक ई-निविदा को पोर्टल www.sppp.rajjasthan.gov.in पर देख सकते है एवं पोर्टल www.eprocurement.rajjasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते है।

S.No	UBN NO	
1	DLB2526WS0B00675	

Sppp पोर्टल पर ऑनलाईन निविदा फार्म मिलने की दिनांक 02.04.2025 को साय 4.00 बजे से

ईप्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निविदा प्रस्तुत करने की प्रारम्भ तिथि 02.4.2025 सांय 5 बजे से

ईप्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 15.04.2025 दोपहर 2 बजे तक

कार्यालय में दस्तावेज जमा कराने की तिथि 15.04.2025 सांय 4 बजे तक

ईप्रोक्योरमेंट पोर्टल पर प्राप्त तकनीकी बिड खोलने की तिथि 15.04.2025 सांय 5 बजे बाद

राज.संवा.द/सी / 25 / 378 अधिशासी अधिकारी नगरपालिका छबड़ा

रामगंजमण्डी नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निलम्बित किया

रामगंजमण्डी, (निसं)। स्वायत्त शासन विभाग ने मंगलवार को रामगंजमण्डी नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निलम्बित किया है। दोनों को अलग-अलग आरोपों के तहत कार्यवाही करते हुए निलम्बित किया गया है। पालिकाध्यक्ष देवीलाल सैनी पर कार्मिकों से मिलीभगत कर पद का दुरुपयोग करते हुए कॉलोनाइजर को लाभ पहुंचाने एवं उपाध्यक्ष रमेश कुमार पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के आरोप हैं। मामले की जांच प्रभावित होने की संभावना के चलते दोनों को निलम्बित किया है। आदेश जारी होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई।

स्वायत्त शासन विभाग निदेशक इंद्रजीत सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार नगर पालिका रामगंजमण्डी में पालिकाध्यक्ष द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए कॉलोनाइजर को लाभ पहुंचाने एवं पालिका उपाध्यक्ष द्वारा सरकारी भूमि पर



निलम्बित पालिका अध्यक्ष देवीलाल सैनी



निलम्बित पालिका उपाध्यक्ष रमेश कुमार

अतिक्रमण करने के मामले विभाग के सामने आए थे। इन मामलों की जांच डीडीआर कोटा से करवाई गई तो जांच में पालिकाध्यक्ष देवीलाल सैनी द्वारा नियम विरुद्ध रहन रहेंगे गए पट्टों को जारी कर पंजीयन करवाया जाना पाया गया। वहीं पालिका उपाध्यक्ष रमेश

कुमार द्वारा विभाग को प्राप्त जांच रिपोर्ट और आरोप पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया 1997 व उसके पश्चात से निरंतर नगरपालिका की बगीचा कुंड की भूमि में मोहनलाल सुखाड़िया कॉलोनी के भूखंड संख्या 33 एवं 34 के नियमानुसार निष्पादन (नीलामी) की

■ **पालिकाध्यक्ष पर कार्मिकों से मिलीभगत कर पद का दुरुपयोग कर कॉलोनाइजर को लाभ पहुंचाने का आरोप है**

■ **पालिका उपाध्यक्ष रमेश कुमार पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के आरोप है**

कार्यवाही को एक से अधिक बार बाधित किया गया है, जिससे नगरपालिका को राजस्व हानि हुई और रमेश कुमार उपाध्यक्ष नगरपालिका रामगंजमंडी एवं उनके परिवार का नगरपालिका रामगंजमंडी की भूमि पर कब्जा है। इस पर पालिकाध्यक्ष और उपाध्यक्ष को

नोटिस जारी किए गए, लेकिन विभागीय स्पष्टीकरण के नोटिस पर दोनों के जवाब संतोषप्रद नहीं मिले। आदेश में बताया गया है कि ऐसे में पालिकाध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने पद का दुरुपयोग किया है और राज्य सरकार की ओर से नगर पालिका अधिनियम में न्यायिक जांच करवाने का निर्णय लेते हुए यह प्रकरण न्यायिक जांच के लिए विधि विभाग को प्रेषित किए हैं। पद पर रहने से जांच प्रभावित होने की संभावना है। तथ्यों, प्राप्त रिपोर्ट और संबंधित रिकार्ड के आधार पर पालिकाध्यक्ष सैनी और उपाध्यक्ष रमेश कुमार को नगर पालिका अधिनियम की धाराओं के तहत सदस्य पद से भी निलंबित किया है। नगर पालिका रामगंजमण्डी के ईओ तरुण कुमार लहरी ने बताया कि पालिकाध्यक्ष देवीलाल सैनी और उपाध्यक्ष रमेश कुमार को डीएलबी ने आदेश जारी कर निलम्बित कर दिया है। इसके आदेश प्राप्त हो गए हैं।

Jodhpur Development Authority, Jodhpur
E-Auction Programme of Residential, Commercial Plots & Flats in Jodhpur (April-June 2025)
(अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर भव्य ई-नीलामी)
क्रमांक :- एफ46 / नीलामी/2025/अप्रैल / 14598302 दिनांक 03.04.2025

82 भूखण्डों की भव्य ई-नीलामी
दिनांक 30.04.2025 से 11.06.2025 तक
आवासीय, व्यावसायिक भूखण्ड एवं प्लॉट इत्यादि

विवेक विहार में कुल भूखण्ड
(41.82 वर्ग मीटर से 455.38 वर्ग मीटर)

वोन्वे योजना ग्राम चौखा में कुल भूखण्ड / आवास (41.80 वर्ग मीटर)

मेगा आवास योजना ग्राम आंगणवा में कुल प्लॉट (30.20 वर्ग मीटर)

57

06

19

ईएमडी जमा दिनांक 30 अप्रैल 2025 से प्रारम्भ

ऑनलाइन बिड प्रारम्भ तिथि: 30 अप्रैल 2025 अंतिम तिथि: 11 जून 2025

मोबाईल नं. 80030-94374, 09505-72382 फोन- 0291-2656355.2656356

नीलामी के समस्त भूखण्डों की विस्तृत जानकारी एवं नीलामी की शर्तें जोधपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट joda.rajjasthan.gov.in पर देखें या कार्यालय में सम्पर्क करें। नीलामी की प्रक्रिया SSO ID के जरिये Urban Services के माध्यम से की जाएगी।

राज.संवा.द/सी / 25 / 463

एक घंटे तक जयपुर की सड़कों पर कार को ‘मौत’ बनाकर दौड़ता रहा उस्मान

नाहरगढ़ हिट-एंड-रन की घटना का पूरा रूट मैप बनाने में जुटी पुलिस



परकोटे में कांग्रेस नेता की कार की टक्कर से तीन लोगों की मौत के बाद मंगलवार को सुबह लोगों ने छोटी चौपड़ पर जाम लगाया और नाहरगढ़ थाने के बाहर पीड़ित परिजनों ने धरना दिया।

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। नाहरगढ़ इलाके में एस.यू.वी. कार से 3 लोगों को कुचलकर मारने वाला कांग्रेस नेता उस्मान करीब एक घंटे तक जयपुर की सड़कों पर कार को “मौत” बनाकर दौड़ाता रहा। पुलिस अफसरों ने मंगलवार सुबह एक्सीडेंट स्थल की दुबारा जांच की। एफ.एस.एल. टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए। पुलिस अब “हिट-एंड-रन” की इस घटना का पूरा रूट मैप तैयार करने में जुटी है। उपर उस्मान खान के खिलाफ मृतक महिला ममता कंवर के पिता ने मामला दर्ज करवाया है।
 एडिशनल डीसीपी (उत्तर) बजरंग सिंह शेखावत ने आरोपी उस्मान खान (62) ने सोमवार रात 9.30 बजे सबसे पहले एम.आई. रोड पर एक गाड़ी को टक्कर मारी। उसके बाद शहर की तंग गलियों से कार भागते हुए वह नाहरगढ़ रोड पहुंचा था। हादसे में शास्त्री नगर निवासी वीरेंद्र सिंह (48), ममता कंवर (50), नाहरगढ़ रोड निवासी मोनेश सोनी (28), मानबाग खोर शारदा कॉलोनी निवासी मोहम्मद जलालुद्दीन (44) घायल हुए। वहीं, संतोषी माता मंदिर के पास निवासी दीपिका सैनी (17), गोविंदराव जी का रास्ता निवासी विजय नारायण (65), जेबुदिशा (50), अंशिका (24) व लालदास का खाड़ा निवासी अवधेश पारीक (37) को भी घायल स्थिति में हॉस्पिटल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने ममता कंवर और अवधेश को मृत घोषित कर दिया।
 मंगलवार सुबह एक और घायल वीरेंद्र सिंह ने भी दम तोड़ दिया। ममता कंवर और वीरेंद्र सिंह भाई-बहन थे। हादसे में गंभीर घायलों का सर्वाई मानसिंह हॉस्पिटल के ट्रामा वार्ड में इलाज चल रहा है। आरोपी उस्मान खान का भी सोमवार देर रात को ही मेडिकल कराया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार वह काफी नशे में था। आरोपी ने नाहरगढ़ क्षेत्र में संतोष माता मंदिर के पास आरोपी ड्राइवर ने पहले स्कूटी-बाइक को टक्कर मारी, फिर सड़क पर

- पुलिस अफसरों ने मंगलवार सुबह एक्सीडेंट स्थल की दुबारा जांच की, एफ.एस.एल. टीम ने भी मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए
- आरोपी उस्मान खान के खिलाफ मृतक महिला ममता कंवर के पिता ने मामला दर्ज करवाया है

गिरे लोगों को कुचलते हुए भाग गया।
 आरोपी उस्मान जयपुर के शास्त्री नगर की राणा कॉलोनी का रहने वाला है। कार की टक्कर से मौके पर दम तोड़ने वाले अवधेश पारीक सैनेटरी पैड बेचने का काम करते थे। वह दो भाई और दो बहन थे, जिनमें से एक बहन की पहले ही मौत हो चुकी है और एक भाई दिव्यांग है।
 इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश उपजा और लोगों ने पुलिस थाने का घेराव कर लिया। नाहरगढ़ थाने के बाहर प्रदर्शन में विधायक बालमुकुंदाचार्य, भाजपा नेता ज्योति खंडेलवाल, मनीष पारीक और लक्ष्मीकांत पारीक बैठे। भाजपा युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल रहे। नाहरगढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य ने मुलाकात कर ढाढस बंधाया। उन्होंने घायल लोगों के परिजनों को भी उचित मुआवजा व घायलों को बेहतर उपचार दिलाने की बात कही।
कांग्रेस ने उस्मान को जिला उपाध्यक्ष पद से हटाया
 हादसे के बाद कांग्रेस पार्टी ने कड़ा फैसला लेते हुए आरोपी उस्मान को कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष पद से हटा

दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी की विश्वकर्मा इंस्टिट्यूट एरिया में लोहे के पलंग बनाने की फैक्ट्री है। उस्मान खान लंबे समय से कांग्रेस से जुड़ा रहा है। वो जयपुर जिला कांग्रेस का उपाध्यक्ष था। मंगलवार सुबह जिला अध्यक्ष आर.आर.तिवाड़ी ने उसे जिला कार्यकारिणी से निष्कासित कर दिया। उस्मान खान के खिलाफ मृतक महिला ममता कंवर के पिता ने मामला दर्ज करवाया है।

ऐसे अपराधी को कड़ी सजा मिले : बालमुकुंदाचार्य

हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि नाहरगढ़ रोड पर जो दर्दनाक हादसा हुआ, उसने हम सभी

को झकझोर कर रख दिया है। एक कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा तेज रफ्तार गाड़ी से आम नागरिकों को कुचलना न सिर्फ अमानवीय है, बल्कि यह कानून की खुली अवहेलना है। इस हादसे में कई मासूमों की जान गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल है। बालमुकुंदाचार्य ने कहा कि मैं पीड़ित परिवारों के साथ न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठा हूं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देख रहा हूं और ऐसे अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए संकल्पित हूं। मुझे अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है कि न सिर्फ दोषी को सख्त सजा मिलेगी। बल्कि पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द उचित सहायता और मुआवजा भी मिलेगा। हमारी सरकार हमेशा पीड़ितों के साथ खड़ी रही है, और इस बार भी न्याय पूरी मजबूती के साथ होगा।

घायलों से मिलने पहुंची दिया कुमारी

- घायलों की पूरी कुशल क्षेम परिजनों को दिया आश्वासन
- ‘इलाज में नहीं बरती जाएगी कोई कोताही’

मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि इस तरह की घटना से मैं बहुत आहत हूं। नियम कानून सब हैं लेकिन हमें उनके पालन करना भी जरूरी होता है।ऐसे में

गाड़ी चलाते हुए उन तमाम चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सरकार के साथ-साथ आम लोगों को भी इस चीज को समझना होगा। उन्होंने घटना के मृतक व्यक्तियों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार मृतक परिवारों के साथ खड़ी है। परिवारों को उचित मुआवजा भी दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो।

एकल पट्टा प्रकरण में सुनवाई 15 को

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में मंगलवार को पूर्व मंत्री शांति धारीवाल से जुड़े चर्चित एकल पट्टा प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता रहे अशोक पाठक को पक्षकार बनाए जाने के मुद्दे पर बहस हुई। वहीं अदालत ने शांति धारीवाल के वकील की मांग के निषण के चलते मामले की सुनवाई 15 अप्रैल को रखी है। वहीं अदालत ने मामले में राज्य सरकार की ओर से गठित जस्टिस आर एस राठौड कमेट्री के गठन को चुनौती देने वाली याचिका को मामले में अलग कर दिया है। अदालत ने पूर्व आईएस जौसफ संघु की इस याचिका को नियमित बैच के

समक्ष सूचीबद्ध करने को कहा है। सीजे एमएम श्रीवास्तव की एकलपीठ ने यह आदेश शांति धारीवाल और राज्य सरकार की आपराधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।
 सुनवाई के दौरान संघु और अन्य तत्कालीन सरकारी अधिकारियों के वकीलों ने मामले में अशोक पाठक के पक्षकार बनने के प्रार्थना पत्र का विरोध किया। वहीं राज्य सरकार के स्पेशल पीपी डॉ. अभिनव शर्मा ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों को सुनवाई के लिए सीजे की एकलपीठ में भेजा है।

सी.एम.ने दादी रतनमोहिनी के देहावसान पर शोक जताया

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रमुख राजयोगिनी दादी रतनमोहिनी के देहावसान पर गहरा शोक व्यक्त किया। शर्मा ने कहा कि करुणामयी व्यक्तित्व से परिपूर्ण दादी जी ने पूरा जीवन त्याग, तपस्या और मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया। उनका देवलोकगमन आध्यात्मिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय दादी रतनमोहिनी को श्रद्धांजलि अर्पित की।

संस्कृत विश्वविद्यालय का बजट रोकने पर मांगा जवाब

जयपुर। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से गत 17 फरवरी को आदेश जारी कर जगदगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय का बजट रोकने के मामले में संस्कृत शिक्षा सचिव, वित्त सचिव व विवि के पूर्व वित्त नियंत्रक दुर्रेश राजोरिया से 15 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश विवि के वीसी की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि विश्वविद्यालय में दुर्रेश राजोरिया को वित्त नियंत्रक नियुक्त किया था और उसके पास ही परीक्षा नियंत्रक का भी चार्ज था। इस दौरान उसने बिना एनरोलमेंट के ही करीब 600

स्टूडेंट्स को परीक्षा दिलावा दी। बाद में उन्होंने स्वयं ही प्रस्ताव बनाकर भेजा कि हर स्टूडेंट से 5000 रुपए वसूले जाए। याचिका में कहा गया कि स्टूडेंट्स से यह राशि वसूलने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं था और इसलिए विवि ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी। मामला राज्यपाल के यहाँ जाने पर इसकी जांच के लिए एक कमेट्री बनाई गई। कमेट्री ने राजोरिया को दोषी करार दिया, लेकिन इस दौरान ही मिलीभगत कर राज्य सरकार से आदेश जारी करावा लिया कि जब तक स्टूडेंट्स से राशि की वसूली नहीं होतजी, तब तक विवि को बजट जारी नहीं किया जाए।

आहुति शुक्ला ने दिया कुमारी से भेंट की

जयपुर। अयोध्या की सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर आहुति शुक्ला ने उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी से मुलाकात की। अयोध्या से आहुति शुक्ला उपमुख्यमंत्री से मिलने के लिए जयपुर पहुंची थी। जहां पर्यटन भवन में उनकी मुलाकात हुई।

छह जांबाज पुलिसकर्मी “कांस्टेबल ऑफ द मंथ से सम्मानित”



जयपुर पुलिस आयुक्तालय में मंगलवार को पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसफ ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले छह पुलिसकर्मियों को कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड से नवाजा।

- ये सिर्फ इयूटी नहीं, एक मिसाल है : पुलिस कमिश्नर

अधिक कीमत के 43 इंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए।

सुभाष निटारवाल (कार्यालय सहायक, एसीपी झोटवाड़ा) ने हाथोज बस स्टैंड से स्कॉपीयो में युवक की जबरन अपहरण की घटना में तुरंत हरकत में आए। स्कॉपीयो का पीछा कर चार अपहरणकर्ताओं को धर दबोचा, और एक बड़ी वारदात को समय रहते रोक। गिरधर सिंह (थाना मानसरोवर चौक, जिला उत्तर) ने सीसीटीवी की मदद से चार मोटरसाइकिलें और 12 एसी पाटर्स बरामद किए। चोरी करने वाली गैंग की

पहचान कर महत्वपूर्ण लीड दी। छोट्टराम (थाना मानसरोवर, जिला दक्षिण): ट्रैक्टर-ट्राली चोरों के आरोपी को गिरफ्तार कर मूल वाहन बरामद कराया। साथ ही तीन और वाहन चोरों को पकड़ कर 7 मोटरसाइकिलें जब्त कीं। संतोष कुमार (यातायात शाखा, जिला पूर्व): ने नारायण सिंह स्कैंकल जैसे व्यस्त तिराहे पर 8 माह तक दिन-रात ड्यूटी निभाई। यातायात संचालन से लेकर बसों की पार्किंग तक, सब कुछ सुव्यवस्थित रखा। संगीता (कार्मिक कल्याण प्रकोष्ठ): ने दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिजनों से तत्काल संपर्क कर उन्हें सभी लाभ जल्दी दिलवाए। वर्ष 2024 में आए 28 दावा प्रकरणों में से 24 का त्वरित निस्तारण किया।

फ्लैट के फर्जी दस्तावेज तैयार कर दो बार बेचा, आरोपी गिरफ्तार

कागज पर फर्जी सब रजिस्ट्रार की मुहर लगाई, दो बार में 41 लाख रुपए लिए

अलवर, (निस्)। अलवर सदर थाना पुलिस ने पत्नी के नाम दर्ज फ्लैट के फर्जी दस्तावेज तैयार कर दो बार बेचान करने वाले आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी रवि जैन का अपना घर शालीमार में फ्लैट था, जिसे दो अलग-अलग व्यक्तियों को बेच दिया। दोनों के मुकदमा दर्ज कराने के बाद पुलिस ने आरोपी फ्लैट मालिक को अरेस्ट किया है। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

सदर थाने के सहायक उपनिरीक्षक हरलाल ने बताया कि रवि जैन ने उप तहसीलदार और उप पंजीयक की फर्जी मुहर तैयार कर दस्तावेज तैयार कर लिए। पहले सीताराम किराड़ को 21 लाख रुपए में बेचा। उसके बाद मोहित जैन को 20 लाख रुपए में वही फ्लैट बेच दिया। आरोपी ने इतनी सफाई से



धोखाधड़ी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया।

फर्जीवाड़ा किया कि किसी को शक नहीं हुआ। बाद में दो मालिक सामने आए, तब धोखाधड़ी का पता चला।

इसके बाद दोनों खरीददारों ने सदर थाना पहुंचकर रवि जैन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इसके साथ

■ **आरोपी ने इतनी सफाई से फर्जीवाड़ा किया कि किसी को शक नहीं हुआ, बाद में दो मालिक सामने आए, तब धोखाधड़ी का पता चला**

रवि जैन की पत्नी ने भी फ्लैट बिक्री को लेकर तीनों के खिलाफ अलग से मामला दर्ज कराया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रवि जैन को गिरफ्तार कर लिया है। सहायक उपनिरीक्षक हरलाल ने बताया कि आरोपी से फर्जी दस्तावेज तैयार करने के तरीके और उसके साथ जुड़े अन्य व्यक्तियों के बारे में पूछताछ की जा रही है।

हादसे में कार चालक की मौत

मालपुरा, (निस्)। जयपुर से केकड़ी सड़क मार्ग पर कोटडी गांव के पास सोमवार की देर रात्रि को हुये दर्दनाक सड़क हादसे मे अज्ञात वाहन की टक्कर से कार चालक की मौत हो गई।

मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की देर रात्रि को जुनियां गांव निवासी भरत सिंह पुत्र देवी सिंह पारिवारिक कार्य से निवृत्त हो भीलवाड़ा से अपने रिश्तेदारों के साथ कोटडी गया हुआ था। जहां से उन्हें छोड़ वापस लौटते समय कोटडी के पास ही अज्ञात वाहन ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई तो कार चालक भरत सिंह की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सड़क हादसे की मिली सूचना पर मोर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को पुलिस सुरक्षा में ले तोडारारथिसंह अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मंगलवार को परिजनों की मौजूदगी मे पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंपा गया। थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू की।

एचएच नहर से महियांवाली गांव की सड़क की पुलिया तोड़ आवागमन बंद किया

श्रीगंगानगर, (निस्)। महियांवाली गांव से एचएच नहर को आने वाली सड़क को फिर से बंद कर दिया है। इस बार अज्ञात लोगों ने एचएच नहर की तरफ से एक खाळे की पुलिया की छत को ही उखाड़कर अलग कर दिया है। इससे यह रास्ता फिर से आवागमन के लिए बंद हो गया है।

यह पुलिया करीब एक सप्ताह के दौरान खोदे जाने की सूचना है, लेकिन ग्राम पंचायत की ओर से इसको तोड़ने वालों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया है। यहां तक कि चुनावद पुलिस ने भी न तो रास्ता वापस शुरू करवाया है न ही पुलिया तोड़ने वालों के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज किया है। पुलिस को इस पुल को तोड़ देने की सूचना तक नहीं है। सरपंच ने मामला संज्ञान में होने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया।

सचिव ने जानकारी नहीं होना बताया और संबंधित विभाग या पुलिस

■ **यह पुलिया करीब एक सप्ताह के दौरान खोदे जाने की सूचना है, लेकिन ग्राम पंचायत की ओर से इसको तोड़ने वालों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया है, पुलिस ने भी रास्ता नहीं खुलवाया**

को सूचना देना स्वयं की इयूटी नहीं होना बताया है। उल्लेखनीय है कि 10 मार्च को भी इसी तरह से इस रास्ते को मलबा डालकर बंद कर दिया था। 20 मार्च को मामला कलेक्टर के संज्ञान में आने के बाद चुनावद पुलिस को ही इस मलबे को हटवाकर रास्ते पर आवागमन बहाल करवाया पड़ा था।

इधर महियांवाली गांव के इस सड़क के किनारे के किसानों का कहना है कि लोग टोल बचाने को एचएच नहर की पुलिया से होकर महियांवाली गांव के इस रास्ते होकर वापस नेशनल हाइवे पर चले जाते हैं। इससे इस सड़क पर वाहनों का दबाव ज्यादा है। किसान अपने ट्रैक्टर-ट्राली, जमीन जोतने के उपकरण आदि लेकर आते हैं तो भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़क संकरी है और आमने सामने दो चौपहिया वाहन बड़ी मुश्किल से ही निकल पाते हैं।

गिरधर, सौईओ, जिला परिषद का कहना है कि सूचना देना ग्राम विकास अधिकारी का पहला नैतिक दायित्व व इयूटी का हिस्सा है। सड़क की पुलिया कब तोड़ी गई। सूचना ने सूचना देकर मुकदमा क्यों नहीं करवाया इसकी जांच कराई जाएगी और दोषी कर्मचारी व सड़क तोड़ने वाले अज्ञात लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।

युवक पर चाकूबाजी मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार

आरोपी की निशानदेही पर हमले में काम लिया चाकू बरामद किया

■ **रविवार रात पैसे के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में एक युवक पर चाकू से हमला किया था, वारदात को लेकर लोगों ने आक्रोश जताया था**

भीलवाड़ा, (निस्)। जिले के आसींद थाना क्षेत्र में रविवार रात पैसे के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में एक युवक पर हुए चाकूबाजी मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी दानिश पठान को गिरफ्तार कर लिया। आसींद पुलिस के अनुसार, आसींद निवासी राकेश (28) पुत्र बंशीलाल ढोली ने पांच दिन के लिए शकूर कालोनी, आसींद निवासी दानिश उर्फ पाना पुत्र हनीफ पठान को 50 हजार रुपये उधार दिये थे। समय सीमा खत्म होने पर उसने दानिश से अपने रुपयों का तकाजा किया। इसे लेकर रविवार रात दानिश ने राकेश को फोन कर आसींद स्थित कृष्णा पब्लिक स्कूल के पास बुलाया। राकेश ने बताया कि वह, अपने छोटे भाई को साथ लेकर दानिश के बताये स्थान पर गया। उसके वहां जाते ही दानिश ने गाली-गलौच शुरू कर

5 हजार का इनामी चोर गिरफ्तार

डुंगरपुर, (निस्)। बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दो साल से फरार चल रहा था। पुलिस ने उस पर पांच हजार रुपए का इनाम भी रखा था। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में लगी है।

बिछीवाड़ा थानाधिकारी ने बताया कि 20 जनवरी 2024 को उर्मिला पत्नी मुकेश डामोर निवासी सेगल महुड़ी की ओर से केस दर्ज करवाया गया था। इसमें बताया कि 31 दिसंबर 2023 की रात के समय वह अपने तीन बच्चों के साथ घर के आंगन में सो रही थी। रात के समय उसके घर से पिटारी तोड़ने की आवाज सुनाई दी। जिस पर वह कंबल ऊंचाकर उठ गई। उसी समय आरोपी भागने लगा। उठकर वह उसके पीछे भागी तो उसने जान से मारने की नीयत से उस पर बाल्टी फैकी, लेकिन वह बच गई। उसके बाद घर से निकलकर उसके दूसरे साथी भी भाग गए। घर में जाकर देखा तो चांदी के जेवरात और मोबाइल चुराकर ले गए। थानाधिकारी ने बताया कि मामले में जांच करते हुए दो नाबालिग को डिटेन किया गया था। आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी के जेवर और मोबाइल बरामद किया था। साथ ही फरार आरोपी राजू पुत्र नारायण डोंडियार, माली थाना पाटिया उदयपुर पर पांच हजार रुपए का इनाम घोषित किया था।

भीम पहलवान ने कामड़े की कुश्ती जीती

नारायणपुर, (निस्)। ग्राम पंचायत गढ़ी (मामोड) में मंगलवार को तिराए वाले हनुमानजी महाराज का वार्षिक मेला आयोजित हुआ। सुबह से ही मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मेले का मुख्य आकर्षण दोपहर में आयोजित कुश्ती दंगल रहा। इसमें सबसे चर्चित मुकाबला कामड़े की कुश्ती का रहा, जो अलवर के भीम पहलवान और हरियाणा के महिपाल पहलवान के बीच लड़ा गया। जोरदार संघर्ष के बाद भीम पहलवान ने मुकाबला जीत लिया। मेला कमेटी की ओर से उन्हें 21 हजार रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। मेले के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन की भूमिका सराहनीय रही। सुरक्षा व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रही, जिससे संपूर्ण कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। मेला आयोजन की सफलता में स्थानीय ग्रामीणों और मेला कमेटी के सदस्यों का विशेष सहयोग रहा।

पांच साल से फरार 15 हजार की इनामी महिला गिरफ्तार

■ **भीलवाड़ा, (निस्)। जिले की हमीरगढ़ थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में 5 साल से फरार चल रही 15 हजार की इनामी महिला को गिरफ्तार किया है।**

हमीरगढ़ थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि 5 मार्च 2020 को तत्कालीन हमीरगढ़ थाना प्रभारी मुलचन्द वर्मा ने नाकाबन्दी के दौरान स्वीफ्ट कार

■ **नाकाबन्दी में पुलिस को कार में एम्पडीए पाउडर मिला था**

को रूकवाकर चेक किया। कार में 68 ग्राम मेथीलीन ड्राईऑक्सी एम्फेटामाइन (एमडीए) पाउडर मिला, जिसे पुलिस ने कार सहित जब्त कर लिया। साथ ही कार में सवार मोहसीन खान, फिरोज खान व जरीना बेगम के कब्जे से 68 ग्राम मेथीलीन ड्राईऑक्सी एम्फेटामाइन (एमडीए) पाउडर जब्त कर प्रकरण दर्ज किया गया था। उक्त प्रकरण में मेथीलीन ड्राईऑक्सी एम्पडीए पाउडर सप्लायर 15 हजार रुपये का इनाम घोषित ठेके के पास, लोहाखान पीलीखान, अजमेर निवासी कौशर खान उर्फ कौशर भी पत्नी खुर्शिद खान उर्फ खुर्शिद अहमद उर्फ कुड़ी बाबा (45) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई को थाना प्रभारी संजय गुर्जर, दीवान नारायण लाल, कांस्टेबल



पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट मामले में महिला को गिरफ्तार किया।

शांतिलाल, महिला कांस्टेबल राधा ने अंजाम दिया।

अवैध शराब के साथ एक गिरफ्तार

निवाई, (निस्)। निवाई थाना पुलिस ने धारदार हथियार के साथ एक आरोपी व अवैध शराब के 56 पक्कों के साथ दूसरी आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी रामजीलाल ने बताया कि अपराधों पर लगाम कसने के लिए पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान की आदेशों पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

बुजेंद्र सिंह भाटी व डीवाईएसपी मृत्युंजय मिश्रा के निकट सुपरविजन में निवाई थाना पुलिस ने मंगलवार को गांव रंभा रोड पर नाले के पास अवैध देशी शराब के 56 पक्कों के साथ रामकिशनपुरा निवासी पप्पलाल पुत्र रामजीवन मोणा को अपने कब्जे में रखकर शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया है। इसी प्रकार एक अन्य पुलिस टीम ने खणदेवत रोड पर दादूयाल आश्रम के समीप से धारदार हथियार छूरी लेकर घूमते हुए पहाड़ी चुंगी नाका के समीप निवाई निवासी राहुल पुत्र कानाराम खंगार को गिरफ्तार किया है।

वीआईपी ट्रेड से जुड़े आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

मदनगंज-किशनगढ़, (निस्)। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एडवोकेट आस्था बैरवा व नवीन बैरवा के तर्कों से सहमत होते हुए वीआईपी ट्रेड से जुड़े आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

पीडित विजय राव ने एडवोकेट आस्था बैरवा के जरिये न्यायिक मजिस्ट्रेट जितेंद्र रेया के समक्ष परिवाद प्रस्तुत न्याय की गुहार लगाई। इसका कहना है कि आरोपी अब्दुल समद, इसकी पत्नी कनीजा बेगम, बेटी निलोफर, सहजान पठान, रतनचंद व लोकाश चौधरी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाये। जुलाई 2024 में विजय राव व रतनचंद की मुलाकात आरोपी अब्दुल समद, इसकी पत्नी कनीजा बेगम व बेटी निलोफर से

हुई। अब्दुल समद ने कहा कि वीआईपी ट्रेड रजिस्टर्ड वैध कम्पनी है। ट्रेडिंग का लाइसेंस है। इसको पार्टनर लोकाश चौधरी संभालता है। कनीजा बेगम व निलोफर बिजनेस कनसल्टेड चेयरमैन हैं। आप सहित मित्रगण कम्पनी में रूपये इन्वेस्ट करो। फोरएक्स में ट्रेडिंग कर उसका मुनाफा समय पर दे दिया जाएगा। झंसे में आकर पीडित विजय राव ने 11 लाख 46 हजार निवेश कर दिया। साथ ही मित्र मोहित ने उधार लेकर 1 लाख 40 हजार, 5 लाख 91 हजार व 5 लाख 25 हजार रूपये, म्यूचल फंड के 1 लाख 50 हजार रुपए इन्वेस्ट कर कर दिया। इसके अलावा अन्य मित्र रवि प्रजापत ने 2 लाख 40 हजार रूपये व 80 हजार रूपये, 3 लाख, 1 लाख 10 हजार रुपए, 1 लाख 50 हजार रुपए इन्वेस्ट कर

दियो। आरोपियों ने सेमिनार में करोड़पति बनने जैसे प्रलोकन देकर विश्वास में ले लिया, जब परिवारी ने अपने रूपये व मुनाफा मांगा तो अभियुक्त ने रूपये देने से साफ इंकार कर दिया। साथ ही कनिजा बेगम व निलोफर ने झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी दी। अभियुक्त ने योजनाबद्ध तरीके से परिवारी व उसके परिचितों को विश्वास में लेकर वीआईपी ट्रेड कम्पनी में फोरैक्स ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसे ऐंट लिये। कई बार तकाजा किये जाने के बावजूद रूपये नहीं मिलने पर अदालत की शरण में जाकर न्याय की फरियाद की। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एडवोकेटआस्था बैरवा के तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्तों के विरूद्ध मदनगंज थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिया।

शॉर्ट सर्किट से गोदाम में आग लगी



आग लगने की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।

भीलवाड़ा, (निस्)। जिले के आसींद थाना क्षेत्र में मंगलवार को शॉर्ट सर्किट के चलते एक अंडा गोदाम में आग लग गई। आग से उठता धुआं और लपटों से गोदाम के आस-पास रहने वालों लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

आसींद थाना प्रभारी हंसपाल ने बताया आसींद में स्थित अंडों के एक गोदाम में मंगलवार सुबह करीब 11 बजे अचानक आग लग गई। आग की

■ **आग की लपटें और काले धुएं का गुबार उठता देख लोग दहशत में आए**

लपटें और काले धुएं का गुब्बार गोदाम से उठता देख लोग दहशत में आ गए। लोगों ने इसकी सूचना आसींद नगर पालिका स्थित दमकल विभाग व

पुलिस को दी। सूचना पर थाना प्रभारी व दमकल वाहन मौके पर पहुंचे। उससे पूर्व पानी के टैंकरों के जरिए आग पर काबू पाने के प्रयास किए गए। करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इससे पहले ही गोदाम में रखे अंडे, सामान व टीनशेड आदि जल गया। थाना प्रभारी का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगने की बात सामने आई है।

केसीसी प्रोजेक्ट के सामने पार्क में अचानक आग लगी

खेतड़ी, (निस्)। खेतड़ी नगर के केसीसी प्रोजेक्ट के सामने जीटी पार्क में मंगलवार को अचानक आग लग गई। इस दौरान खेतड़ी व केसीसी की दमकलों ने दो घंटे की मशक्कत से आग पर काबू पाया।

सुरक्षा अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि सूचना मिली कि भगवती प्लांट के पास बने केसीसी के जीटी पार्क में अचानक आग लग गई। इस दौरान आग की सूचना पर केसीसी की दमकल को लेकर मौके पर पहुंचे। इस दौरान देखा तो सूखी झाड़ियों में आग लगी हुई थी। इस दौरान हवा के साथ आग तेजी से फैलने लगी तो कर्मचारियों ने झाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैलती जा रही थी।

केसीसी प्रोजेक्ट से बुलाई गई दमकल ने भी आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन काफी दूर में आग लगने व झाड़ियों के कारण दमकल मौके पर नहीं पहुंच पा रही थी, जिसके बाद आग तेजी से फैलने लगी। इसके बाद खेतड़ी नगर पालिका की दमकल



खेतड़ी नगर में जीटी पार्क में आग लगने से पेड़-पौधे जल गए।

को मौके पर बुलाया गया। इस दौरान करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद दोनों दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका।

सुरक्षा अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि आग लगने से पेड़-पौधे जल गए, लेकिन गनीमर रही कि आग हवा से पास ही बने 440 केजी पावर हाउस की तरफ ना जा सकी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। पार्क क्षेत्र

में अचानक लगी आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। इस मौके पर एस शिवदर्शी, अब्दुल तस्लीम आलम, अश्वनी गुरवरिया, मुन्नालाल जेदिया, मुकेश, घनश्याम दास, संगम सोनी, दुलीचंद सैनी, अजय सैनी, शशि, राजपाल, प्रदीप, अजय मोन, रामस्वरूप, रणधीर पूनिया, अमिलाल, मुकेश कुमार सहित अनेक लोग मौजूद थे।

पंचायत समिति की बैठक में अधिकारियों के नहीं आने पर जनप्रतिनिधियों में आक्रोश

नहीं आने पर जनप्रतिनिधियों में आक्रोश



प्रधान मनीषा गुर्जर की अध्यक्षता में खेतड़ी पंचायत समिति की बैठक आयोजित हुई।

आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

पंचायत समिति सदस्य नीरज मान ने गौरीर में लगे सोलर प्लांट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि काफी समय से बंद

पड़े सोलर प्लांट को शुरू करवाया जाए अन्यथा प्लांट के जमीन दान में देने वाले दानदाता को उसकी जमीन वापस दी जाए। इसके अलावा साधारण सभा की बैठक में पेयजल, बिजली, क्षतिग्रस्त

सड़कों व अन्य मुद्दे उठाए गए, जिस पर उपखंड स्तर के अधिकारियों को जल्द ही समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए।

बैठक में तहसीलदार सुनील

■ **खेतड़ी पंचायत समिति की बैठक में आमजन की मूलभूत सुविधाओं को लेकर चर्चा हुई**

■ **विभागीय अधिकारियों के गायब रहने से आमजन की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है**

कुमार, भाजपा जिला महामंत्री पूनम धर्मलाल गुर्जर, सीबीईओ जितेंद्र सुरेलिया, बीसीएमओ डॉ. हरीश यादव, बीडीओ महादेव सिंह, नंगली सरपंच दीप सिंह, सरपंच प्रकाश अवाना, जितेंद्र कुमार, श्रवणदत्त नारनौलिया, बदी प्रसाद सहित अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने पंजाब, हरियाणा और हनुमानगढ़ के विभिन्न हेड का निरीक्षण किया

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा, कि आई.जी.एन.पी. के सुदृढ़ीकरण के लिए 34 सौ करोड़ रु. खर्च किये जायेंगे

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हनुमानगढ़ के लखूवाली हेड, घग्गर डाइवर्जन पैनल की कार्यप्रणाली व घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र का निरीक्षण किया तथा बाढ़ सुरक्षा के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दो दिवसीय यात्रा के पहले पंजाब, हरियाणा तथा हनुमानगढ़ में विभिन्न हेड, नहरी तंत्र तथा बैराज का अवलोकन किया।

हनुमानगढ़ में विभिन्न हेड, नहरी तंत्र तथा बैराज का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री सबसे पहले पंजाब के तरनतारन जिले में स्थित हरिके बैराज गए, वहां उन्होंने हरिके हेड पर नहरी तंत्र की प्रक्रिया का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों से नहरी तंत्र के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में चर्चा की। इसके बाद शर्मा ने मल्लेवाला हेड, बल्लेवाला हेड,

बीकानेर केनाल, फिरोजपुर फीडर एवं इंदिरा गांधी फीडर का हवाई निरीक्षण किया। हवाई निरीक्षण के बाद, मुख्यमंत्री ने हरियाणा के सिरसा जिले के लोहगढ़ हेड में भाखड़ा सिंचाई परियोजना के लिए इंदिरा गांधी फीडर और सरहिन्द फीडर के मध्य बने लिंक का निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ के लखूवाली हेड, घग्गर डायवर्जन चैनल

तथा घग्गर नदी का निरीक्षण किया। उन्होंने घग्गर नदी की जल प्रवाह क्षमता तथा डायवर्जन चैनल की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों को राहत देने तथा बाढ़ से जन-धन की हानि को रोकने के लिए घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र में 325 करोड़ रुपये की लागत से बाढ़ सुरक्षा की दृष्टि से कार्य करवाने की घोषणा की थी।

कार से कुचलने की घटना से आक्रोशित लोगों ने परकोटा जाम किया

—कार्यालय संवाददाता— जयपुर, 8 अप्रेल। राजधानी के नाहरगढ़ इलाके में तेज रफ्तार एस.यू.वी. कार से 3 लोगों को कुचलकर मारने वाले कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष उस्मान खान के खिलाफ आक्रोशित लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अलसुबह लोगों ने नाहरगढ़ पुलिस थाने को घेर लिया और छोटी व बड़ी चौपड़ पर जाम लगाकर आवाजाही रोक दी। दिनभर चले उग्र प्रदर्शन के बाद शाम साढ़े 4 बजे मृतकों के परिवारों को 50-50 लाख रु. मुआवजा और संविदा पर नौकरी की बात पर सहमति बनी, जिसके बाद धरना खत्म हुआ। उधर कांग्रेस जयपुर शहर अध्यक्ष आर.आर.तिवाड़ी ने आरोपी उस्मान को जिला कार्यकारिणी से निष्काषित कर दिया है।

गौरतलब है कि सोमवार देर रात को नशे में धुत कांग्रेस नेता उस्मान खान ने तेज रफ्तार एस.यू.वी. कार से 7 किलोमीटर के दूरी में 9 लोगों को टक्कर मारी थी। नाहरगढ़ रोड पर हुए

■ **मृतक के परिजनों को 50-50 लाख का मुआवजा व संविदा नौकरी की सहमति पर धरना समाप्त हुआ।**

इस हादसे में भाई-बहन, सहित तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि घायल 6 लोगों का उपचार जारी है।

इस हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां ममता कंवर और अवधेश को मृत घोषित कर दिया गया था। मंगलवार सुबह एक और घायल वीरेन्द्र सिंह ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी उस्मान खान को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है, अब उससे पृछताछ की जा रही है। एडिशनल डीसीपी (उत्तर) बजरंग सिंह शेखावत ने बताया कि आरोपी उस्मान खान (62) ने सबसे ज्यादा टक्करें करीब 500 मीटर के एरिया में मारीं। नाहरगढ़ क्षेत्र में संतोषी माता मंदिर के पास पहले स्कूटी-बाइक को टक्कर मारी, फिर सड़क पर गिरे लोगों को कुचलते हुए भाग गया। उस्मान खान ने थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी टक्कर मारी। आरोपी ने सोमवार रात 9.30 बजे सबसे पहले एमआई रोड पर एक गाड़ी को टक्कर मारी थी।

सी.डब्ल्यू.सी. की बैठक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) जिस तरह चलना चाहिये। कभी-कभी तो के.सी. वेणुगोल तक महत्वपूर्ण पार्टी निर्णयों में उनके निर्णय के विरुद्ध फैसला ले लेते हैं।

कुछ दिनों से पार्टी-हल्कों में ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि प्रियंका से चुनाव प्रबंधन समिति की अध्यक्ष बनने के लिये कहा जा सकता है। ज्ञातव्य है कि चुनाव

साल से ज्यादा समय हो गया।

वे स्वयं को सुर्खियों और चर्चाओं से दूर रखे हुये हैं। विवादित वक्फ विधेयक, जिसका कांग्रेस तथा पूरे विपक्ष ने विरोध किया था, पर भी वे सक्रिय दिखाई नहीं दीं।

जयराम रमेश तो इस बात से खुश नहीं थे कि केवल प्रियंका गांधी की गैरमौजूदगी के बारे में प्रश्न क्यों किया

■ **जयराम रमेश जरूर इस बात से झुंझलाये हुए से लगे, कि प्रियंका गाँधी की अनुपस्थिति पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि वे अकेली नहीं जो इस महत्वपूर्ण आयोजन में अनुपस्थित हैं, पैंतीस ऐसे सदस्य हैं, जो आमंत्रित होने के बावजूद बैठक में या ए.आई.सी.सी. के सत्र में नहीं आये हैं।**

प्रबंधन के मामले में यह उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी होती है। अभी यह कमेटी बनी नहीं है तथा यह दर्शाने वाली कोई हलचल भी दिखाई नहीं दे रही है कि प्रियंका को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है।

वे ऐसी एआईसीसी महासचिव हैं, जिनके पास कोई पोर्टफोलियो या जिम्मेदारी नहीं हैं और इस स्थिति को एक

जा रहा है, जबकि विस्तारित सीडब्ल्यूसी की इस मीटिंग में 35 सदस्य उपस्थित नहीं हुये हैं।

उनकी अनुपस्थिति के बारे में पूछे जाने का कारण संभवतः यही है कि वे गांधी परिवार से हैं तथा कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का हिस्सा हैं। यह वजह है कि उनकी गैरमौजूदगी को लेकर अत्यधिक अटकलें लगाई जा रही हैं।

‘देश के संविधान में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नहीं है उसे इन पर वोटो पावर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि गर्वनर्स के लिए एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए जैसा कि आर्टिकल 200 और संघीय नीति के तहत आवश्यक है कि राज्यपाल का आचरण न्यायिक मानदंडों के अनुरूप हो। समय सीमा का पालन नहीं करने पर संबंधित राज्यपाल के आचरण की न्यायिक समीक्षा की जाएगी।

स्टालिन ने निर्णय का स्वागत करते हुए तमिलनाडु विधानसभा में कहा कि, यह न केवल तमिलनाडु की बड़ी जीत है बल्कि देश की सभी राज्य सरकारों की जीत है। उन्होंने कहा, तमिलनाडु ने द्रमुक के सिद्धांतों के संरक्षण के लिए संघर्ष किया है जैसे राज्य की स्वायत्तता और संघवाद तमिलनाडु संघर्ष करेगा और जीतेगा। स्टालिन ने कहा, तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु के विधायकों व तमिलनाडु की जनता, जिसने हमें चुना है की तरफ मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ जिसने राज्य विधानसभा के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की।

कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत अन्तर्निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए माना कि दस विधेयकों को कानून बनाने के लिए स्वीकृति मिल गई है। न्यायालय ने कहा कि यह राज्यपाल द्वारा

इन विधेयकों पर निर्णय लेने में की गई देरी और शीघ्र कार्यवाही की वकालत करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों के प्रति उनके “अल्प सम्मान” के लिए एक उग्रयुक्त प्रतिक्रिया होगी।

जैसी की उम्मीद है, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस खबर का स्वागत किया, क्यों वे भी इसी तरह की समस्या से ग्रस्त है। उन्होंने कहा तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकतंत्र की जीत है और राज्यपालों द्वारा विधानसभा की शक्तियों को हड़पने की प्रवृति के खिलाफ चेतावनी है।

सुप्रीम कोर्ट में गत नवम्बर में राष्ट्रपति के विचार के दस विधेयकों को रोकने की राज्यपाल आर.एन. रवि की कार्यवाही को गलत व अवैध घोषित किया, क्योंकि राज्य विधानसभा उन्हें दोबारा पारित कर चुकी थी।

जिंदा बम...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सजा सुनने के लिए न्यायिक अभिरक्षा से बुलाया गया। सजा सुनने के बाद चारों अभियुक्तों के चेहरे पर जरा भी शिकन नज़र नहीं आई, बल्कि वे हंस्टे-मुस्क्राते हुए कोर्ट कक्ष से बाहर निकले।

सुप्रीम कोर्ट ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अधिकारियों और राज्य प्रशासन के प्रमुख की जानकारी में आये बिना, इतनी बड़ी और व्यापक अनियमितताएं आखिर हो कैसे गईं।

उम्मीदवारों ने नियुक्ति पाने के लिए राजनेताओं तथा तुणमूल कांग्रेस के नेताओं को रिश्तत दी थी, तथा उन सक्षम शिक्षकों, जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षा में काफी अच्छे अंक प्राप्त किये थे, के नाम मैरिट लिस्ट से हटा दिये गये थे। प्रतियोगी परीक्षा की “ओ एम आर” शीटों में हेर-फेर तथा परिवर्तन करने के स्पष्ट सबूत मिले हैं। अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए, एस एस सी अधिकारियों ने अदालतों में कह दिया कि सभी स्कोर शीट्स नष्ट की जा चुकी हैं। लेकिन सी बी आई ने फरीदाबाद के कुछ प्रतिष्ठानों से उम्मीदवारों के वास्तविक अंकों की कम्प्यूटर प्रतियां हासिल कर लीं।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अजितजि गांगुली ने अब जोर देते हुए कहा है कि उन सक्षम उम्मीदवारों को पुथक करने की प्रक्रिया किसी को रिश्तत नहीं दी थी, को भ्रष्ट उम्मीदवारों से अलग किया जाना संभव है। गांगुली ने कहा कि भ्रष्ट एवं सक्षम उम्मीदवारों को पुथक करने की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, असली और ईमानदार चयनित उम्मीदवारों की नौकरी बहाल होना संभव किया जाना चाहिए।

कांग्रेस अधिवेशन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अहमदाबाद में अत्यधिक गर्मी और पानी की कमी के कारण दिक्कत हो गई जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के ज़ाइडस अस्पताल में निगरानी में रखा गया है। वह अस्पताल में है और डॉक्टर उनके स्वास्थ्य नज़र रखें हैं और उनकी स्थिति सामान्य है। मौसम विभाग ने अहमदाबाद के लिए मंगलवार को भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया था और यहां दिन का तापमान या 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया था।

ब्रह्मकुमारी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तथा अनेक गणमान्य लोगों ने शोक व्यक्त किया है।

उनके पार्थिव शरीर को राजस्थान के आबू रोड में ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय शांतिवन आश्रम के सभागार में अंतिम दर्शनार्थ रखा गया है। ब्रह्माकुमारीज के अनुसार दादी रतनमोहिनी का 10 अप्रैल को पूर्वाह्न 10 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा।

MARUTI SUZUKI

WHERE’S YOUR INSPIRATION TAKING YOU NEXT?

Drive home your favourite NEXA car and explore new horizons.

C R E A T E . I N S P I R E .

NEXA

3 years 100 000 km **WARRANTY***
EXTENDABLE UPTO 6 YEARS

CONSUMER OFFERS OF UP TO ₹1 00 000*

EXCHANGE BONUS OF UP TO ₹1 00 000*

PER LAKH EMI STARTING FROM ₹1 470*

ADDITIONAL SCRAPPAGE BONUS UP TO ₹15 000 IS AVAILABLE AGAINST VALID CERTIFICATE OF DEPOSIT.



SCAN TO CONNECT TO A SHOWROOM NEAR YOU



E-BOOK TODAY @
WWW.NEXAEXPERIENCE.COM

Contact us at
1800-200-6392
1800-102-6392

For detailed T&C kindly visit nearest dealership. Maruti Suzuki India Limited reserves the right to discontinue offers without notice and offers may vary across variants. *Offer includes consumer offer, exchange bonus and institutional or rural offer (wherever applicable) on select models/variants. Finance is at the sole discretion of financier. 3 years or 100 000 km - whichever is earlier. Scrappage offer valid for limited period only and is brought to you by Maruti Suzuki Toyota India Private Limited (a joint venture company between Maruti Suzuki India Ltd and Toyota Tsusho Group). Above offers are valid till 30th April 2025. Black glass shade on the vehicle is due to the lighting effect. Images used are for illustration purposes only. Car color may vary due to printing on paper.

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स: 0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैंन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हट्या, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डोनसिटी कार्यालय** :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डोनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय** : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908